(2025) 5 एस.सी.आर. 906: 2025 आईएनएससी 793

चेतन

बनाम

कर्नाटक राज्य

(आपराधिक अपील सं0 1568 वर्ष 2013)

30 मई 2025

(सूर्यकांत एवं नागमकेपम कोटिश्वर सिंह, न्यायमूर्तिगण)

विचारणीय मुद्दा

मामला धारा 302, 304 भा0द0सं0 के अधीन तथा आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 3, 5 के अधीन अपीलकर्ता को दोषसिद्ध तथा दण्डादिष्ट करने वाले अवर न्यायालयों द्वारा पारित आदेश के शुद्धता से संबंध रखता है।

शीर्ष टिप्पणियाँ

दण्ड संहिता, 1860- धारा 302, 304, 404 - हत्या - परिस्थितिजन्य साक्ष्य, अंतिम बाद देखा गया सिद्धांत तथा सामानों के बरामदगी के आधार पर दोषसिद्धि-अभियोजन मामला की अपीलकर्ता द्वारा बन्दूक की गोली के क्षति के कारण पीड़ित की मानवघाती मृत्यु-अपीलकर्ता का कतिपय आर्थिक विवाद के कारण पीड़ित के विरुद्ध मनमुटाव था- अपराध करने के पश्चात, अपीलकर्ता ने पीड़ित के मोबाइल फोन तथा सोने की जंजीर का दुर्विनियोग किया था - अपीलकर्ता ने वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने पितामह के बंदूक का उपयोग किया था - अवर न्यायालयों ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य, अंतिम बार देखा गया सिद्धांत, सामानों के बरामदगी, न्यायसंबंधी साक्ष्य तथा अपीलकर्ता द्वारा प्रपलायन के कार्य के आधार पर अपीलकर्ता का भा0द0सं0 की धारा 302, 304 तथा आयुध अधिनियम की धारा 3, 5 के अधीन दोषसिद्ध तथा दण्डादिष्ट किया था - में हस्तक्षेप

अभिनिर्धारित : यह बंदूक के गोली के क्षति के कारण अप्राकृतिक मृत्यु थी, इस प्रकार मानवघाती का मामला- साक्षीगण का साक्ष्य अंतिम बार देखे गये सिद्धांत का समर्थन करता है तथा परिस्थिति को मजबूत करता है- स्थापित मृतक के मृत्यु के संबंध में अपीलकर्ता की कड़ी परिस्थितियों तथा स्थापित तथ्यों पर आधारित- गोली मारे जाने के पहले मृतक का अपीलकर्ता के अलावा एक दूसरे व्यक्ति के साथ रहने की संभावना पूर्णतया परोक्ष है- अभियोजन का मामला मात्र अटकल नही है बल्कि उलटे स्थापित परिस्थितियों एवं तथ्यों पर आधारित है- प्राक्षेपिकी परीक्षण पर आधारित न्याय संबंधी साक्ष्य स्थापित करता है कि अपीलकर्ता के कहने पर बरामद बंदूक का उपयोग मृतक को गोली से क्षति कारित करने में किया गया था जिसके कारण इसकी मृत्यु हुई थी - अपराध का हथियार प्रत्यक्ष रूप से अपीलकर्ता से संबंध मिलाता है- बंदूक की बरामदगी तथा इसके चलाने एवं खर्च कारतूस की बरामदगी को स्पष्ट करने की विफलता अपीलकर्ता को आलिप्त करता है- अपीलकर्ता द्वारा ले जाये जा रहे बंदूक को देखने वाले किसी साक्षी के साक्ष्य का अभाव, अभियोजन मामले के लिए घातक नही- मृतक के पिता से लगातार पूछतांछ के बावजूद अपने मित्र के परिवार के साथ सहयोग एवं सहायता के बजाय अपीलकर्ता द्वारा फरार होने का कार्य इसके अपराध का स्पष्ट संकेत है- इसके अलावा, अपीलकर्ता तथा मृतक के बीच आर्थिक लेनदेन को साबित करने की विफलता तात्विक रूप से

अभियोजन मामले को प्रभावित नहीं कर सकता है- इस प्रकार, आनुमानिक तथा तार्किक कड़ी जो स्पष्ट रूप से धारा 302 के अधीन दण्डनीय मृतक की हत्या करने हेतु तथा आयुध अधिनियम की धारा 25 तथा 27 के अधीन दण्डनीय धारा 404 एवं धारा 3 एवं 5 के अधीन अपराधों को करने हेतु अपीलकर्ता के अपराध का संकेत करता है। अलग-अलग तथा एक साथ विचार की गई साबित परिस्थितियाँ अपीलकर्ता के अतिरिक्त किसी और के संलिप्तता का संकेत नहीं देता है- अभियोजन अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सक्षम रहा है- अपीलकर्ता के विरुद्ध साक्ष्य का मूल्यांकन करने में अवर न्यायालयों द्वारा कोई तात्विक अवैधता नही की गई है न ही किसी तात्विक साक्ष्य की अनदेखी करते हुए या गलत समझते हुए आक्षेपित निर्णय द्वारा अपीलकर्ता के साथ कोई घोर अन्याय कारित किया गया है- इस प्रकार, अवर न्यायालयों द्वारा अपीलकर्ता की दोषसिद्धि जहाँ तक मोबाइल फोन के बरामदगी का संबंध है, जिसका संदेह का लाभ अपीलकर्ता को दिया गया है धारा 404 के अधीन दोषसिद्धि को अपास्त करने के सिवा किसी हस्तक्षेप का समुचित आधार नही है, तथापि, धारा 302 तथा 404 जहाँ तक इसका संबंध अपीलकर्ता द्वारा मृतक की हत्या तथा सोने की जंजीर के दुर्विनियोग का संबंध है एवं विधि विरुद्ध कब्जा एवं बंदूक के उपयोग हेतु आयुध अधिनियम की धारा 25 तथा 27 के अधीन अपीलकर्ता के दोषसिद्धि को कायम रखा जाता है- आयुध अधिनियम, 1959-धारा 3, 5, 25, 27 - साक्ष्य अधिनियम - धारा 27, 106 (पैरा 10.3, 10.5.1, 10.5.9, 16.6.1, 10.6.8, 10.6.12, 10.7, 10.7.4, 10.7.6, 10.7.9, 10.9.1, 10.11.2, 11.1-11.3)

साक्ष्य- परिस्थितिजन्य साक्ष्य - व्याप्ति तथा प्रकृति:

अभिनिर्धारित: परिस्थितिजन्य साक्ष्य चूँकि प्रत्यक्ष साक्ष्य के विरुद्ध है, निष्कर्ष है, जिसे कतिपय स्थापित तथ्य/परिस्थिति पर आधारित तथ्य के अस्तित्व से निकाला जाता है- इस प्रक्रिया से एक ही तरह से सहजानुभूत तर्क, मानव व्यवहार की समुचित समझ तथा मनोविज्ञान अन्तवलित है- जीते जागते मानव अनुभवों तथा मानव व्यवहार पर आधारित, यदि तथ्य का कोई अनुमान स्थापित तथ्य से स्पष्ट रूप से अनुमेय होता है, तथ्य के बारे में अनुमान किये गये स्थिति को सही के रूप में अंगीकार करना चाहिए- विधि यह अपेक्षा नही करता है कि तथ्य को सभी संदेहो से रहित पूर्ण निबंधनों पर साबित किया जाना आवश्यक है- विधि अनुध्यात करता है कि तथ्य को साबित माने जाने के लिए, इसे किसी युक्तियुक्त संदेह को समाप्त करना चाहिए - तथ्य को साबित माना जाता है यदि न्यायालय, साक्ष्य का पुनर्विलोकन करने के पश्चात, या तो इसका होना विश्वास करता है या इसका होना संभाव्य पर्याप्त मानता है कि प्रज्ञावान व्यक्ति इस पूर्वानुमान पर कार्य करेगा कि यह विद्यमान है- प्रत्येक परिस्थितियाँ जिससे कतिपय निष्कर्षों को निकाला जाना ईप्सित है, को विधि के अनुसार साबित किया जाना आवश्यक है तथा अटकल एवं अनुमान का कोई तत्व नही हो सकता है तथा इस प्रकार साबित प्रत्येक परिस्थितियों को पूर्ण श्रृंखला बनानी चाहिए जो स्पष्ट रूप से अभियुक्त के अपराध की ओर संकेत करता है- यदि इन सभी परिस्थितियों का संयुक्त परिणाम, जिनमें से प्रत्येक को अलग-अलग साबित किया गया है, अभियुक्त के अपराध को साबित करता है, तब इस प्रकार के परिस्थितियों पर आधारित दोषसिद्धि कायम रह सकता है- यदि संचयी परिणाम में रूप में स्वाभाविक तथा सामाजिक रूप से मान्य मानव व्यवहार से संगत साबित परिस्थितियों के सेट के मूल्यांकन के पश्चात, एक

स्पष्ट तथा सुनिश्चित पैटर्न उभरता है जो अप्रतिरोध्य रूप से अभियुक्त के आपराधिकता की ओर संकेत करता है, जैसे अभियुक्त पर आपराधिक दायित्व जकड़ने के लिए अनुमानित निष्कर्ष को सही स्वीकार किया जा सकता है। (पैरा 10.12-10.12.1)

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973- धारा 313 का महत्व- धारा 313 के अधीन अभियुक्त की परीक्षा - स्पष्ट किया गया। (पैरा 10.16.1)

उद्धृत निर्णयजन्य विधि

मेकला सिवैया बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य **(2022) 6 एससीआर 989 : (2022) 8 एससीसी 253;** *शरद विरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य* **(1985) 1 एससीआर 88; (1984) 4 एससीसी-116;** *राजेश यादव तथा एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य* **(2022) 16 एससीआर 967: (2022) 12 एससीसी 200;** *गोवा राज्य बनाम संजय ठाकरन तथा एक अन्य* **(2007) 3 एससीआर 507: (2007) 3 एससीसी 755;** *मुकेश एवं एक अन्य बनाम दिल्ली रा0रा0क्षे0 तथा अन्य* **(2017) 6 एससीआर 1 (2017) 6 एससीसी 1;** *मनू उर्फ गिरीश चन्द्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (***1971) 3 एससीआर 914: (1971) 2 एससीसी 75;** *जी. पार्श्वनाथ बनाम कर्नाटक राज्य* **(2010) 10 एससीआर 377; 2010(8) एससीसी 593;** *त्रिमुख मारोती किरकन बनाम महाराष्ट्र राज्य* **(2006) अनूपूरक 7 एससीआर 156: (2006) 10 एससीसी 681:** *मनू साओ बनाम बिहार राज्य* **(2010) 8 एससीआर 811: (2010) 12 एससीसी 310- निर्दिष्ट**

अधिनियमों की सूची

दण्ड संहिता- 1860; साक्ष्य अधिनियम 1872; आयुध अधिनियम 1959: दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973

प्रमुख शब्दों की सूची

हत्या; वैध अनुज्ञप्ति के बिना बंदूक ले जाना तथा उपयोग करना; बंदूक का विधि विरुद्ध कब्जा; परिस्थितिजन्य साक्ष्य; डी.बी.बी.एल. बंदूक, अपराध का हथियार, सामानों की बरामदगी; न्याय संबंधी साक्ष्य; प्रपलायन का कार्य; बंदूक के गोली से क्षति; हेतु; अंतिम बार देखा गया सिद्धांत; युक्तियुक्त संदेह से परे; प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं; महत्वपूर्ण अंगों की प्राक्षेपिकी क्षतियाँ; प्राक्षेपिकी परीक्षण; अपराध का सामान्य हथियार नहीं; विशेष ज्ञान; मृतक का गुमराह परिवार; मृतक के विरुद्ध मनमुटाव का तत्व; मानव अनुभव तथा मानव व्यवहार; अटकल तथा अनुमान का तत्व नहीं; अग्न्यायुध के उपयोग द्वारा घातक क्षति; परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला; अभियुक्त की परीक्षा; आर्थिक विवाद; पीड़ित के मोबाइल फोन तथा सोने के जंजीर का दुर्विनियोग: अप्राकृतिक मृत्यु; मानववध; गोली से क्षति; बंदूक की बरामदगी तथा इसका चलाया जाना: खर्च कारतूस की बरामदगी।

मामले की उत्पति

आपराधिक अपीलीय अधिकारिताःआपराधिक अपील सं0 1568 वर्ष 2013

सीआरएलए सं0 666 वर्ष 2007 में कर्नाटक उच्च न्यायालय सर्किट पीठ धारवाड़ के निर्णय तथा आदेश दिनांक 06-12-2010 से।

अधिवक्तागण

अपीलकर्ता के अधिवक्तागण:

डी.एन. गोवर्धन, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्रीमती रजनी के प्रसाद, सुश्री आभा आर शर्मा

उत्तरदाता के अधिवक्ता:

मुहम्मद अली खान, ए.ए.जी. सुश्री ईशा बक्शी प्रशांत प्रताप सिहं, कामरान खान, वी. एन. रघुपति

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

<u>निर्णय</u>

नांगमेकपम कोटिश्वर सिंह, न्यायमूर्ति

1. वर्तमान अपील आपराधिक अपील सं0 666 वर्ष 2007 में कर्नाटक उच्च न्यायालय, सर्किट पीठ धारवाड़ के खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय तथा आदेश दिनांक 06-12-2010 के विरुद्ध अधिमानित किया गया है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने सत्र विचारण सं0 267 वर्ष 2006 में एफ.टी.सी.-II एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बेलगाँव द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28/29-03-2007 द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 तथा 304 के अधीन तथा आयुध अधिनियम 1959 की धारा 25 तथा 27 के अधीन दण्डनीय धारा 3 तथा 5 के अन्तर्गत अपराधों हेतु वर्तमान अपीलकर्ता पर अधिरोपित दोषसिद्धि तथा दण्डादेश को अनुमोदित किया था।

2. दोषसिद्धि अपराध के हथियार का न्यायसंबंधी साक्ष्य एवं अपीलकर्ता द्वारा प्रपलायन के कार्य सहित सामानो के बरामदगी द्वारा समर्थित अंतिम बार देखे गये सिद्धांत पर भरोसा करते हुए परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है।

3. चूँकि अपीलकर्ता दोनों अवर न्यायालयों, सत्र न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा एक ही निष्कर्षों को उलटने की मांग कर रहा है, इस न्यायालय को काफी सावधानीपूर्वक चलना चाहिए, जैसा **मेकलासिवैया बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य (2022) 8 एससीसी 253** सहित कई अवसरों पर इस न्यायालय द्वारा संप्रेक्षित किया गया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब तक निष्कर्ष अनुचित नही होता है तथा तात्विक साक्ष्य के अज्ञानता में दिया जाता है, इस न्यायालय को एक ही निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने में धीर होना चाहिए। इस प्रकार **मेकलासिवैया** (ऊपर) में इस न्यायालय द्वारा निम्न शब्दों में संप्रेक्षित किया गया था:

> *"15. न्यायिक निर्णय द्वारा यह सुस्थापित है कि अनुच्छेद 136 व्यापक निबंधनों में व्यक्त किया गया है तथा उक्त अनुच्छेद के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियाँ किसी तकनीकी बाधाओं द्वारा बाधित नही है। फिर भी, इस अध्यारोही तथा आपवादिक शक्ति का प्रयोग कम तथा मात्र न्याय के उद्देश्य को अग्रसर करने में किया जाना चाहिए। इस प्रकार जब अपील में निर्णय के परिणाम स्वरूप किसी गलत फहमी या साक्ष्य को गलत समझने के द्वारा या तात्विक साक्ष्य की अनदेखी द्वारा घोर अन्याय होता है तब यह न्यायालय न केवल सशक्त है बल्कि न्याय के उद्देश्य को प्रोत्साहित करने के लिए हस्तक्षेप करने की भलीभांति अपेक्षा की जाती है।*
>
> *16. यह जांच करने के प्रयोजन हेतु साक्ष्य का पुर्न-मूल्यांकन करना इस न्यायालय की पद्धति नही है कि क्या विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा पहुँचे गये एक ही तथ्य का निष्कर्ष सही है या नहीं। यह मात्र विरल तथा आपवादिक मामलों में होता है जहाँ तात्विक साक्ष्य को गलत समझने या अनदेखी*

करने के कारण कुछ स्पष्ट अवैधता या घोर या गंभीर अन्याय होता है, यह कि यह न्यायालय इस प्रकार के तथ्य के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करेगा।"

4. पूर्वोक्त एहतियाती दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय इस बात पर विचार करते हुए वर्तमान अपील की जांच करने के लिए अग्रसर होगा कि तथा आक्षेपित निर्णय में स्पष्ट त्रुटि या अवैधता है तथा क्या तात्विक साक्ष्य को गलत समझने का अनदेखी करने के कारण कोई गंभीर तथा घोर अन्याय वर्तमान मामले में हुआ है। इसके लिए स्थिर रूप से मामले के तथ्यों तथा संदर्भ की समुचित जाँच आवश्यक होगी, जिसके लिए हमें विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा विचारित पेश साक्ष्य एवं मामले के पृष्ठभूमि तथ्यों का पुर्ननिरीक्षण करना चाहिए।

5. <u>मामले का तथ्यात्मक आव्यूह:</u>

5.1 अभियोजन मामला संक्षेप में यह है कि अपीलकर्ता तथा मृतक विक्रम शिंदे मित्र थे। घटना जो 10-07-2006 को घटित हुई थी के लगभग आठ माह पहले, अपीलकर्ता ने मृतक को क्रमशः उधार देने के लिए रवीन्द्र चवन (अभियोजन साक्षी 19) से रू0 4000/- (रुपया चार हजार मात्र) की धनराशि उधार लिया था, जिसे फिर भी वापस करने के बार-बार मांगे जाने के बावजूद लगभग 7-8 माह बीत जाने के बाद भी मृतक द्वारा अपीलकर्ता को वापस नहीं किया गया था। इस संबंध में, अपीलकर्ता तथा मृतक के बीच बहस हुई थी जिसमें मृतक ने स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता का अपमान किया था, जिसके कारण अपीलकर्ता का मृतक के विरुद्ध मनमुटाव था।

5.2 अभियोजन का आगे मामला है कि अपीलकर्ता ने 10-7-2006 को लगभग 20:30 बजे शिकार करने हेतु जाने के बहाने अपने पितामह के कारतूस के साथ 12 बोर डी0बी0बी0एल0 बंदूक को लेने के बाद शाहापुर गाँव, जो शिकायत कर्ता अर्थात अरूण कुमार मिनाचे (अभियोजन साक्षी 1) का था में स्थित गन्ना के खेत में अपने हीरो होण्डा मोटर साइकिल पर मृतक को अपने साथ ले गया था। यह अभिकथित किया गया है कि उसी रात को लगभग 22:00 बजे, अपीलकर्ता ने उक्त डी0बी0बी0एल बंदूक से मृतक को गोली से मार दिया था तथा इस प्रकार भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध किया था।

5.3 आगे यह अभिकथित है कि उक्त अपराध करने के बाद, वह मृतक के नोकिया मोबाइल फोन तथा सोने की जंजीर को ले गया था तथा इसका दुर्विनियोग किया था, इस प्रकार भा0द0सं0 की धारा 404 के अधीन अपराध किया था।

अभियोजन के अनुसार, चूँकि अपीलकर्ता वैध अनुज्ञप्ति के बिना अपने पितामह के डी0बी0बी0एल0 बंदूक को लिया था तथा प्रयोग किया था, इसने आयुध अधिनियम की धारा 3 सपठित धारा 25 के अन्तर्गत अपराध किया था। अपीलकर्ता आयुध अधिनियम की धारा 5 सपठित धारा 27 के अधीन दण्डनीय अपराध करने के लिए आरोपित था।

5.4 अभियोजन के अनुसार, चूँकि मृतक 10-07-2006 के लगभग 745 बजे अपराह्न घर से चले जाने के बाद वापस नही लौटा था, मृतक के पिता ने अपीलकर्ता के घर में फोन किया था लेकिन बताया गया कि वह घर पर नही है। तत्पश्चात वह अगले दिन 11-07-2006 को तड़के अपीलकर्ता के घर गया तथा अपने पुत्र के पता ठिकाने के बारे में इससे पूछतांछ किया था, जिसके संबंध में अपीलकर्ता ने झूठी जानकारी दिया था कि वह लगभग 8 बजे रात पूर्व सायंकाल में मृतक के रास्ता अलग कर लिया था। मृतक के पिता को चन्द्रकांत शिंदे से फोन काल मिला था जिसमें इसे बताया गया कि मृतक पूणे गया है तथा दो दिनों में वापस लौटेगा। तत्पश्चात्, मृतक के पिता ने अपने गुमशुदा पुत्र की तलाश आरम्भ किया था तथा गुमशुदगी रिपोर्ट दाखिल किया था।

5.5 अभियोजन का मामला यह है कि 13-07-2006 को मृतक का शव अरूण कुमार मिनाचे के खेत में पाया गया था, जिसने शव के पता चलने के बारे में पुलिस को सूचित किया था। फिर भी, चूँकि शव विघटित हो गया था, इसके पहचान का पता नही लगाया जा सका। शव के बरामदगी के पश्चात, पुलिस केस कागावाड़ पुलिस स्टेशन में पंजीकृत किया गया था तथा मृतक के पहचान के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए अन्य पुलिस स्टेशनों पर प्रसारित किया गया था। तत्पश्चात् अन्वेषण आरम्भ किया गया था तथा मृत्यु समीक्षा की गई थी। शव का मृत्योपरांत परीक्षण भी 13-07-2006 को किया गया था। चूँकि शव की पहचान का पता नहीं लगाया जा सका, शव के प्रकटीकरण को समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था जिसे 14-07-2006 को पिता द्वारा देखा गया था तथा तत्पश्चात् वह कागावाड़ पुलिस स्टेशन गया तथा फोटोग्राफ, रूमाल, पैंट पाकेट में पाये गये मोटर साइकिल कुंजी एवं शव पर स्वेटर के जरिए शव की पहचान किया था।

5.6 अन्वेषण के अनुक्रम में, यह उद्घाटित हुआ था यदि अपीलकर्ता एवं मृतक को अंतिम बार एक साथ माहीश्याल बस स्टैण्ड के निकट देखा गया था तथा तत्पश्चात् शाहापुर की तरफ जाते हुए मोटर साइकिल पर देखा गया था, जैसा अशोक शिन्दे, अभियोजन साक्षी (अ0सा0 4), अशोक जमादार (अ0सा05) तथा जमीर मुल्ला (अ0सा0 3) द्वारा उल्लेख किया गया था।

5.7 उक्त सूचना के आधार पर, पुलिस ने अपीलकर्ता को 22-07-2006 को मिराज में कई स्थानों पर इसकी तलाश करने के बाद गिरफ्तार किया गया था तथा कागावाड़ पुलिस स्टेशन लाया गया था। अन्वेषण के दौरान, अपीलकर्ता ने अपराध के संबंध में संस्वीकृति किया था तथा अपने आप बंदूक पेश करने के लिए कहाँ था जिससे इसने अपराध किया था तथा उस स्थान को दिखाने के लिए अपने आप कहा था इसने मृतक को गोली मारी थी तथा स्थान जहाँ इसने मृतक के मोबाइल फोन को बेचा था। अपीलकर्ता ने सोने की जंजीर को भी पेश किया था, जो तात्पर्यित रूप से मृतक का था जिसे निरीक्षक द्वारा अभिग्रहीत किया गया था। तत्पश्चात्, अपीलकर्ता पुलिस को अपने पितामह, रामचन्द्र राव चवन (अ0सा0 20) के घर ले गया था तथा एक बार बोर डी0बी0बी0एल0 बंदूक, दो खाली कारतूस,

एक जिन्दा कारतूस, एक टार्च, हीरो होण्डा मोटर साइकिल एवं एक खाली हैण्डबैग को पेश किया था जिन सभी को अभिग्रहीत किया गया था। तत्पश्चात अपीलकर्ता पुलिस को गन्ने के खेत में ले गया था जहाँ से मृतक का छूटा चप्पल बरामद किया गया था। तत्पश्चात वह अन्वेषक अधिकारी तथा पंचों को वेलांकी सरतू दूरस्थ जल प्रपात के निकट ले गया था तथा वह स्थान दिखाया था जहाँ इसने मृतक को गोली मारकर हत्या किया था। तत्पश्चात्, अपीलकर्ता पुलिस को श्री गिरी काम्पलेक्स दिलुख नगर, हैदराबाद ले गया था, जहाँ इसने एस. साम्बा शिव कुमार (अ0सा0 25) के इलेक्ट्रानिक के दुकान को दिखाया था जिसे इसने मोबाइल फोन बेचा था। अभियोजन के अनुसार दुकानदार ने अपीलकर्ता को पहचाना था तथा लेनदेन को स्वीकार किया था एवं अपीलकर्ता के ड्राइविंग लाइसेन्स के छायाप्रति के साथ मोबाइल फोन सौंपा था, जिसे दुकानदार को अपीलकर्ता द्वारा दिये गये पते के प्रमाण के रूप में रखा गया था, जिसे पुलिस द्वारा अभिग्रहीत किया गया था।

5.8 विचारण के दौरान अभियोजन ने कुल 31 साक्षीगण की परीक्षा करते हुए अपीलकर्ता के विरुद्ध मामला साबित करने की मांग किया था तथा कई दस्तावेजों एवं सामानों को प्रदर्शित किया था जैसा ऊपर उल्लिखित है। अपीलकर्ता ने सम्पूर्ण प्रत्याख्यान का अभिवाक् लिया था। अपीलकर्ता ने अपने प्रतिरक्षा में किसी साक्ष्य को भी पेश नहीं किया था।

5.9 विचारण न्यायालय, फास्ट ट्रैक कोर्ट-II तथा अपर सत्र न्यायाधीश, बेलगांव ने सत्र मामला सं0 267/2006 में अभियोजन तथा प्रतिरक्षा को सुनने के पश्चात तथा स्वयं के समक्ष पेश सामग्रियों के बारे में विचार करने के बाद अपीलकर्ता को भा0द0सं0 की धारा 302 तथा 404 एवं आयुध अधिनियम की धारा 25 तथा 27 के अधीन दण्डनीय धारा 3 तथा 5 के अधीन दोषसिद्ध किया था।

तद्नुसार, भा0द0सं0 की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किये जाने के बाद, न्यायालय ने इसे कठोर आजीवन कारावास की सजा भुगतने तथा रू0 1000/- का जुर्माना अदा करने एवं भुगतान के व्यतिक्रम में, छह माह के कठोर कारावास की सजा भुगतने के लिए दण्डादिष्ट किया था।

अपीलकर्ता को धारा 404 भा0द0सं0 के अधीन अपराध हेतु एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा भुगतने तथा रू0 1000/- का जुर्माना अदा करने एवं जुर्माना के भुगतान के व्यतिक्रम में तीन माह के कठोर कारावास की सजा भुगतान के लिए दण्डादिष्ट किया गया था।

इसके अलावा, अपीलकर्ता को आयुध अधिनियम की धारा 25 के अधीन दण्डनीय धारा 3 के उल्लंघन हेतु एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा भुगतने एवं रू0 500/- (रूपया पांच सौ) का जुर्माना अदा करने एवं जुर्माना के भुगतान के व्यतिक्रम में, तीन माह के कठोर कारावास की सजा भुगतान के लिए दण्डादिष्ट किया गया था।

अपीलकर्ता को आयुध अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत दण्डनीय धारा 5 के उल्लंघन हेतु तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा भुगतने तथा रू01000 (रुपया एक हजार) का जुर्माना अदा करने एवं जुर्माना के भुगतान के व्यतिक्रम में तीन माह के कठोर कारावास की सजा भुगतने के लिए दण्डादिष्ट किया गया था।

इन सभी दण्डादेशों को साथ-साथ चलाये जाने का निदेश दिया गया था।

5.10 अपर सत्र न्यायाधीश, बेलगाँव द्वारा दोषसिद्धि जैसा उपरोक्त है द्वारा व्यथित, अपीलकर्ता ने आपराधिक अपील सं0 666/2007 दाखिल करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय सर्किट पीठ धारवाड़ के समक्ष अपील अधिमानित किया था। उक्त अपील को आक्षेपित आदेश दिनांक 6-12-2010 द्वारा खारिज किया गया था, जिसके विरुद्ध अपीलकर्ता ने हमारे समक्ष यह अपील अधिमानित किया है।

चूँकि विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा की गयी थी, सर्व प्रथम उस आधार की जांच करना उचित हो सकता है जिस पर विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को दोषसिद्ध किया था तथा कैसे उच्च न्यायालय द्वारा इसका अनुमोदन किया गया था।

6. <u>विचारण न्यायालय द्वारा विचार:</u>

6.1 जैसा अभियोजन द्वारा घटना के विवरण से देखा जा सकता है, मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, चूँकि किसी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ने अपीलकर्ता द्वारा बंदूक से मृतक को गोली मारते नही देखा था जिसके कारण इसकी मृत्यु हुई थी।

चूँकि हम परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित दोषसिद्धि के शुद्धता की छानबीन करने के लिए कवायद आरम्भ करते हैं, हम परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित विचारण को नियंत्रित करने वाले विधि के पांच स्वर्णिम सिद्धांतों को याद कर सकते हैं, जिस पर इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर विचार किया गया था तथा सार संक्षेप में **शरद विरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य (1984) 4 एससीसी 116** के प्रख्यात मामले में निम्नवत् स्पष्ट किया गया थाः-

''152 उच्च न्यायालय द्वारा भरोसा किये गये मामलों की चर्चा करने के पहले हम आपराधिक मामला जो एक मात्र परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर होता है में अपेक्षित प्रकृति, चरित्र तथा आवश्यक सबूत पर कुछ निर्णयों को प्रोदधृत करना चाहेगें। इस न्यायालय का सबसे अधिक मौलिक तथा मूलभूत निर्णय हनुमंत बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1952) 2 एससीसी 71: एआईआर 1952 एससी 343: 1952 एससीआर 1091: 1953 क्रिएलजे 129) है। इस मामले को एक समान बड़ी संख्या में पश्चात्वर्ती निर्णयों अद्यावधिक में इस न्यायालय द्वारा अनुसरण तथा लागू किया गयाहै, उदाहरण के लिए, तुफियल (उर्फ) सिम्मी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1969) 3 एससीसी 198: 1970 एससीसी (क्रि) 55) तथा रामगोपाल बनाम महाराष्ट्र राज्य (1972) 4 एससीसी 625: एआईआर 1972 एससी 656) के मामले। यह उद्धृत करना उपयोगी हो सकता है जिसे न्यायमूर्ति महाजन ने हनुमंत मामले (1952) 2 एससीसी 71: एआईआर 1952

एससी 343: 1952 एससीआर 1091: 1953 क्रिएलजे 129) में अधिकथित किया है।

''यह स्मरण करना सही है कि ऐसे मामलों में, जहाँ साक्ष्य परिस्थितिजन्य प्रकृति का होता है, परिस्थितियाँ जिससे अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है सर्वप्रथम पूर्णतया स्थापित किया जाना चाहिए तथा इस प्रकार स्थापित सभी तथ्यों को केवल अभियुक्त के अपराध के परिकल्पना से संगत होना चाहिए। पुनः परिस्थितियाँ निश्चायक प्रकृति तथा प्रवृत्ति की होनी चाहिए तथा इन्हें इस प्रकार का होना चाहिए जिससे साबित किये जाने के लिए प्रस्तावित के सिवाय प्रत्येक परिकल्पना का अपवर्जन हो सके। दूसरे शब्दों मे, साक्ष्य की श्रृंखला अब तक पूरी होनी चाहिए जिससे अभियुक्त के निर्दोषिता से संगत निष्कर्ष हेतु कोई युक्तियुक्त आधार न छूटे तथा यह इस प्रकार का होना चाहिए जिससे यह प्रदर्शित हो कि सभी मानव संभावना में कार्य अभियुक्त द्वारा किया जाना चाहिए था।

153. इस निर्णय का गहराई से विश्लेषण करने के बाद यह प्रदर्शित होता है कि अभियुक्त के विरुद्ध मामले को पूर्णतया प्रमाणित कहे जा सकने के पहले निम्न शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए:

(1) परिस्थितियाँ जिससे अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है पूर्णतया प्रमाणित किया जाना चाहिए।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस न्यायालय ने संकेत दिया था कि संबंधित परिस्थितियों को प्रमाणित किया जाना चाहिए न कि प्रमाणित किया जा सकता है। ''साबित किया जा सकता है'' तथा ''साबित किया जाना चाहिए'' के बीच न केवल व्याकरणिक बल्कि विधिक अंतर है जैसा इस न्यायालय द्वारा शिवाजी सहाव्राओ वोवडे बनाम महाराष्ट्र राज्य (1973) 2 एससीसी 793: 1973 एससीसी (क्रि) 1033: 1973 क्रिएलजे 1783) में अभिनिर्धारित किया गया था जहाँ संप्रेक्षणों को किया गया था: (एससीसी पैरा 19 पे0 807, एससीसी (क्रि) पे0 1047)

''निश्चित रूप से, यह प्रमुख सिद्धांत है कि अभियुक्त को न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया जा सकने के पहले दोषी होना चाहिए न कि मात्र दोषी हो सकता है एवं ''सकता है'' एवं चाहिए के बीच मानसिक दूरी लंबी है तथा सुनिश्चित निष्कर्षों से अस्पष्ट अटकलों को अलग करता है।''

(2) इस प्रकार प्रमाणित तथ्यों को मात्र अभियुक्त के अपराध के परिकल्पना से संगत होना चाहिए, अर्थात, इसे अभियुक्त दोषी है के सिवाय किसी अन्य परिकल्पना पर व्याख्येय नही होना चाहिए।

(3) परिस्थितियों को निश्चायक प्रकृति एवं प्रवृत्ति का होना चाहिए।

(4) इसे साबित किये जाने के सिवाय प्रत्येक संभव परिकल्पना को अपवर्जित करना चाहिए।

(5) साक्ष्य की श्रृंखला को इतना पूर्ण होना चाहिए जिससे अभियुक्त के निर्दोषिता से संगत निष्कर्ष हेतु कोई युक्तियुक्त आधार न छूटे तथा यह

प्रदर्शित करना चाहिए कि सभी मानव संभावना में कार्य अभियुक्त द्वारा किया जाना चाहिए था।''

6.2 जैसा अभिलेखों से देखा जा सकता है, विचारण न्यायालय ने विचारार्थ पाँच बिन्दुओं को प्रतिपादित किया था जिसे निम्नवत् दोहराया जाता है:-

''1. क्या अभियोजन ने साबित किया है कि 10-07-2006 को लगभग 22:00 बजे मृतक गोली लगने के क्षति के कारण मानवघाती मृत्यु मरा था ?

2. क्या अभियोजन ने साबित किया है कि अभियुक्त ने ही एमओ.9 के रूप में अंकित डी0बी0बी0एल0 बंदूक के द्वारा गोली मारकर मृतक की मानवघाती मृत्यु कारित किया है ?

3. क्या अभियोजन ने साबित किया है कि उक्त तिथि को, अभियुक्त ने मृतक विक्रम शिन्दे की हत्या कारित करने के पश्चात्, बेईमानीपूव्रक सोने की जंजीर तथा मोबाइल को अपने उपयोग में लाने के लिए दुर्विनियोग या संपरिवर्तन किया था जो मृत्यु के समय पर विक्रम शिन्दे के कब्जे में था तथा इसके द्वारा भा0द0सं0 की 404 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को किया था?

4. क्या अभियोजन ने साबित किया है कि उपर्युक्त दिन को लगभग 2030 बजे अभियुक्त अपने पितामह रामचन्द्र चवन के 12 बोर बी0बी0एल0 बंदूक को अपने घर से शिकायतकर्ता अरूण कुमार के भूमि तक ले गया था एवं अपेक्षित अनुज्ञप्ति रखे बिना उक्त बंदे तथा कारतूस इसके कब्जे में था तथा इसके द्वारा आयुध अधिनियम की धारा 25 के अधीन दण्डनीय आयुध अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों का उल्लंघन किया था ?

5. क्या अभियोजन ने साबित किया है कि उक्त तिथि को लगभग 22:00 बजे शाहापुर गाँव सीमा में स्थित अरूण कुमार शिकायतकर्ता के जमीन में अभियुक्त ने मृतक विक्रम शिन्दे की मृत्यु कारित करने के लिए 12 बोर डी0बी0बी0एल0 बंदूक (एमओ 0.9) का उपयोग किया था तथा इसके द्वारा आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन दण्डनीय धारा 5 के प्रावधानों का उल्लंघन किया था? "

6.3 विचारण न्यायालय ने इन सभी विवाद्यकों को एक साथ समेकित किया था तथा पेश साक्ष्य के आलोक में इस पर विचार किया था एवं अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन ने अपना मामला साबित किया था।

6.4 जबकि विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य के विश्लेषण के इस प्रक्रम पर सविस्तार विचार करना आवश्यक नही हो सकता है, फिर भी, मामले के बेहतर मूल्यांकन हेतु विचारण न्यायालय के निष्कर्षों को संक्षेप में निर्दिष्ट करना वांछनीय होगा।

6.5 चूँकि मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आसपास चककर लगाता है, विचारण न्यायालय ने विचारार्थ निम्न परिस्थितियों/पहलुओं की पहचान किया था:

(1) हेतु

(2) बंदूक की गोली के क्षति द्वारा मृतक की मानवघाती मृत्यु

(3) मृतक को अंतिम बार 10-07-2006 को 8 तथा 9:30 बजे रात के बीच में अभियुक्त के साथ में देखा गया था।

(4) मृतक के पिता तथा अपने चाचा को अभियुक्त द्वारा मिथ्या सूचना दी गई थी।

(5) 11-07-06 से 22-07-06 को अपने गिरफ्तारी तक अभियुक्त का प्रपलायन

(6) धारवाड़ में स्थित अपने मित्र युवराज वेन्नालकर के कमरे की जाँच करते हुए अ0सा0 18 के समक्ष 12-07-2006 को न्यायिकेतर संस्वीकृति।

(7) 22-07-2006 को अपने गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त के कब्जे से मृतक के सोने के जंजीर की बरामदगी तथा अभियुक्त के कहने पर अ0सा0 25 से मृतक के नोकिया मोबाइल की बरामदगी।

(8) अभियुक्त के बताने पर अभियुक्त के पितामह अ0सा0 20, रामचन्द्र चवन के घर से डी0बी0बी0एल बंदूक, 2 खर्च कारतूस की संदूकों, एक जिन्दा कारतूस, एवररेडी बैटरी तथा स्टार गुटका से खाली हैण्डबैग की बरामदगी।

(9) हत्या के स्थान का पता लगना तथा उस स्थान के निकट जहाँ शव को अभियुक्त के बताने पर पाया गया था स्थित गन्ने के खेत से मृतक के बायें पैर के चप्पल की बरामदगी।

(10) तथ्य अर्थात जहाँ मोबाइल सिम कार्ड अभियुक्त के बताने पर फेंका गया था का प्रकटीकरण।

6.6 जहाँ तक हेतु का संबंध है जिसने अपीलकर्ता को अपराध करने के लिए प्रेरित किया था, अभियोजन मामला यह है कि चूँकि मृतक रू0 4000/- वापस करने में असफल था जिसे अपीलकर्ता द्वारा उधार दिया गया था तथा मृतक द्वारा अपमानित भी किया गया था, अपीलकर्ता का मृतक के विरुद्ध मनमुटाव था तथा प्रतिशोध स्वरूप, मृतक की हत्या किया था।

जहाँ तक हेतु के इस विवाद्यक का संबंध है, विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर साक्ष्य के बारे में विचार करने के पश्चात् निष्कर्ष निकाला था कि आर्थिक लेनदेन, जो अपराध करने के लिए हेतु गठित करने के लिए आधार था, को पूर्णतया प्रमाणित नही किया गया था।

फिर भी, विचारण न्यायालय का विचार था कि अभियोजन मामले को मात्र इसलिए अस्वीकार नही किया जा सकता है क्योंकि हेतु को प्रमाणित नहीं किया जा सका है।

6.7 विचारण न्यायालय ने साक्ष्य पर आधारित निष्कर्ष निकाला था कि मृतक की मृत्यु आकस्मिक या आत्मघाती नही थी बल्कि मानवघाती थी।

6.8 अपीलकर्ता को उक्त मानवघाती मृत्यु से जोड़ने के लिए, विचारण न्यायालय ने अंतिम बार देखे गये सिद्धांत पर भरोसा किया था, जिसके लिए विचारण न्यायालय ने मृतक के भाई दिग्विजय शिन्दे (अ0सा0 12) सहित कई साक्षीगण के साक्ष्य को निर्दिष्ट किया था, जिसने अपीलकर्ता तथा मृतक को घटना के सायंकाल में माहीश्याल बस स्टैण्ड के निकट देखा था, जिसे अ0सा0 12 के मित्र एक दूसरे साक्षी अनिल (अ0सा0 11) द्वारा भी देखा गया था।

विचारण न्यायालय ने एक दूसरे साक्षी अर्थात जामिर मुल्ला (अ0सा0 3) के साक्ष्य पर भी भरोसा किया था, जिसने अभिसाक्ष्य दिया था कि जब वह सड़क के बगल में खड़ा था, इसने मृतक को मोटरसाइकिल के पीछे बैठा देखा था।

विचारण न्यायालय ने अशोक शिन्दे (अ0सा0 4) के साक्ष्य पर भी विचार किया था जो आटो रिक्शा चालक था जिसने मृतक तथा अपीलकर्ता को एक साथ सांघातिक दिन को लगभग 5.45 बजे अपराह्न देखे जाने का साक्ष्य दिया था जब वह कर्मवीर विद्यालय हाईस्कूल मैदान के निकट खड़ा था।

एक दूसरे साक्षी, अर्थात अशोक जमादार (अ0सा0 5) के साक्ष्य पर भी भरोसा किया गया था, जो, जब वह माहीश्याल लौट रहा था तथा कागावाड़ चक्कर के निकट खड़ा था, मृतक तथा अपीलकर्ता को मोटर साइकिल पर 10-07-2006 को लगभग 9.15 बजे अपराह्न शीरागुप्पी की तरफ जाते हुए देखा था। उक्त साक्षी, अ0सा0 5, विक्रम शिन्दे की मृत्यु के बारे में जानने के बाद कागावाड़ पुलिस स्टेशन गया तथा शव की पहचान किया था। यद्यपि अ0सा0 5 को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया था क्योंकि वह घटना के अन्य पहलुओं पर अपने पहले के कथन से मुकर गया था, विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मृतक तथा अपीलकर्ता के एक साथ अंतिम बार देखे जाने के संबंध में अ0सा0 12, अ0सा0 11 तथा अ0सा0 5 के बयानों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है।

6.9 तत्पश्चात् विचारण न्यायालय ने अन्य परिस्थिति पर विचार किया था कि अपीलकर्ता ने अपने चाचा तथा अपने मित्र देवराज सूतर (अ0सा0 14) को मिथ्या सूचना दिया था, जिससे विचारण न्यायालय के अनुसार इसका दूषित मन साबित होता है।

6.10 विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक दूसरी फसाने वाली परिस्थिति अपीलकर्ता का 11-07-2006 से इसके 22-07-2006 को मिराज में गिरफ्तारी तक प्रपलायन था।

6.11 तत्पश्चात् विचारण न्यायालय ने धारवाड़ जहाँ साक्षी अर्थात संदीप संडालगे (अ0सा0 18) रूका था में युवराज वेन्नलकर के कमरे में 12-07-2006 को अपीलकर्ता द्वारा अभिकथित रूप से किये गये न्यायिकेतर संस्वीकृति को ध्यान में रखा था। अपीलकर्ता ने स्पष्ट रूप से उक्त साक्षी अ0सा0 18 को न्यायिकेतर संस्वीकृति किया था कि वह शिकार करने जाने के बहाने 10-07-2006 को मृतक को ले गया था तथा बंदूक से गोली मारकर इसकी हत्या किया था क्योंकि मृतक ने रू0 4000/- का ऋण चुकता नही किया था तथा इसे अपमानित किया था जब इसने पैसे की मांग किया था।

6.12 विचारण न्यायालय ने अन्य फंसाने वाले परिस्थितियों अर्थात अपीलकर्ता के कब्जे से मृतक के सोने की जंजीर की बरामदगी, अभियुक्त के नोकिया मोबाइल फोन की बरामदगी, इसके पितामह के निवास जहाँ अपीलकर्ता रूका था से डी0बी0बी0एल0 बंदूक, 2 खर्च तथा 1 जिन्दा कारतूस संदूक, एवररेडी बैटरी तथा स्टार गुटका खाली हैण्डबैग, गन्ना के खेत से मृतक के बायें पैर के चप्पल की बरामदगी तथा अपीलकर्ता के बताने पर हत्या के स्थान के पता चलने पर भी विचार किया था।

तदनुसार विचारण न्यायालय ने, पेश उक्त साक्ष्य के आधार पर अभिनिर्धारित किया कि पूर्वोक्त परिस्थितियों/तथ्यों को साबित किया गया है।

6.13 फिर भी, विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन हेतु को साबित करने में सक्षम नहीं था तथा न्यायिकेतर संस्वीकृति कथित तौर पर अपीलकर्ता द्वारा किया गया था। फिर भी, अन्य परिस्थितियों के आलोक में कतिपय अनियमितताओं तथा त्रुटियों को देखने के बावजूद साबित किया गया था, जो विचारण न्यायालय के अनुसार तात्विक नही था न ही अभियोजन मामले के संबंध में घातक हो सकता है तथा यह धारित करते हुए कि अन्वेषण में अनियमितताएँ अभियुक्त को दोषमुक्त होने का हकदार नही बनायेगी, अभिनिर्धारित किया कि भा0द0सं0 की धारा 302 तथा 404, आयुध अधिनियम की धारा 25 तथा 27 के अधीन दण्डनीय आयुध अधिनियम की धारा 3 तथा 5 के अन्तर्गत आरोपों को साबित किया गया है तथा उपरोक्तानुसार अपीलकर्ता को दोषसिद्ध करने के लिए अग्रसर हुआ था।

7. <u>उच्च न्यायालय द्वारा विचार</u>

7.1 उच्च न्यायालय ने अवेक्षित किया था कि अभियोजन द्वारा परीक्षित 31 साक्षीगण में से, कई साक्षीगण अर्थात अ0सा0 1, अ0सा0 3, अ0सा0 5 से अ0सा0 9, अ0सा0 16, अ0सा0 18 से अ0सा0 20, अ0सा0 25 तथा अ0सा0 26 अभियोजन के मामले में पक्षद्रोही हो गये थे। फिर भी, अन्य बाकी साक्षीगण के परिसाक्ष्य तथा अन्य साक्ष्य के आधार पर, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोपों को साबित करने में सक्षम हुआ था।

जहाँ तक अपराध के करने के लिए हेतु का संबंध है, यद्यपि इसे विचारण न्यायालय द्वारा नासाबित अभिनिर्धारित किया गया था, उच्च न्यायालय ने अ0सा0-12 तथा अ0सा0-4 के साक्ष्य के आधार पर अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन अपराध करने के लिए हेतु को साबित करने में सक्षम रहा था।

7.2 उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मृतक के साथ अपीलकर्ता के एक साथ अंतिम बार देखे जाने की परिस्थिति को अ0सा0 4, अ0सा0-11 तथा अ0सा0-12 के साक्ष्य द्वारा साबित किया गया हैं

7.3 उच्च न्यायालय ने अ0सा0-14 (देवराज सुतर) के साक्ष्य पर विचार किया था जो अपीलकर्ता का मित्र तथा सहपाठी था जिसने कहा था कि अपीलकर्ता ने घटना के दिन को फोन पर इससे संपर्क किया था तथा इससे कहा था कि यदि हमारा चाचा इससे संपर्क करता है, हमारे चाचा को बताना कि वह (अ0सा0 14) पूणे में है, यद्यपि अ0सा0-14 अहमदनगर में था। इस प्रकार, अपीलकर्ता ने अपने पता ठिकाना के बारे में अपने संबंधियों को गुमराह किया था।

7.4 जहाँ तक बंदूक के अभिग्रहण का संबंध है, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलकर्ता पुलिस को पितामह के घर लाया था तथा इसे इसके घर से अभिग्रहीत किया गया था। प्राक्षेपिकी विशेषज्ञ अ0सा0-30 के साक्ष्य के अनुसार, यह साबित किया गया था कि उक्त बंदूक क्रियाशील थी तथा दागा गया दिखाया गया था, जिसे अपीलकर्ता या इसके पितामह- रामचन्द्र राव, अ0सा0-20 द्वारा

स्पष्ट नहीं किया जा सका था, जिससे साबित होता है कि अभिग्रहीत बंदूक का उपयोग मृतक को गोली मारने के लिए किया गया था। मृतक के खोपड़ी में पायी गयी बंदूक के गोली की क्षतियों, छर्रा तथ गद्दी से प्रदर्शित होता है कि मृतक बंदूक के गोली के क्षतियों के कारण मरा था।

7.5 उच्च न्यायालय ने फारेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, बंगलौर के सहायक निदेशक विशेषज्ञ साक्षी एन0जी0 प्रभाकर (अ0सा0-30) के विचार पर, जिसने शव के खोपड़ी में पाये गये डी0बी0बी0एल बंदूक, कारतूसों, छर्रा तथा गद्दी की जांच किया था, अभिनिर्धारित किया कि यह साबित किया जाता है कि मृतक की मृत्यु उक्त डी0बी0बी0एल0 बंदूक से दागे गये बंदूक के गोली द्वारा कारित की गई थी जिसे अपीलकर्ता के बताने पर बरामद किया गया था।

7.6 उच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन अ0सा0 31, अन्वेषक अधिकारी (आईओ) के साक्ष्य से गिरफ्तारी पर तत्काल अपीलकर्ता के कब्जे से सोने के जंजीर की बरामदगी तथा हैदराबाद में अपीलकर्ता के बताने पर मोबाइल फोन के अभिग्रहण को साबित करने मे सक्षम रहा है, जिसकी पुष्टि इसी साक्षी ने किया था। उच्च न्यायालय के अनुसार इससे प्रदर्शित होता है कि अपीलकर्ता ने मृतक के मृत्यु के तत्काल बाद सामानों अर्थात सोने की जंजीर, मोबाइल फोन का कब्जा प्राप्त किया था, जो स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता को फंसाता है।

7.7 उच्च न्यायालय ने, पेश साक्ष्य के आधार पर अवधारित किया था कि अपीलकर्ता एवं मृतक को अंतिम बार एक साथ देखा गया था। चूँकि अपीलकर्ता घटना के रात को मृतक के पता ठिकाना को नही बताया था एवं बंदूक तथा कारतूसों के बरामदगी तथा सोने की जंजीर एवं नोकिया मोबाइल फोन के बरामदगी, प्रपलायन के कार्य, बाग्छलपूर्ण व्यवहार, मृत्योपरांत परीक्षण रिपोर्ट, प्रोक्षेपिकी रिपोर्ट तथा परिस्थितियों की श्रृंखला के प्रतिफल स्वरूप, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला था कि घटना जिसमें अपीलकर्ता ने मृतक की हत्या किया था युक्तियुक्त संदेह से परे साबित होता है।

तद्नुसार, उच्च न्यायालय ने अपील खाजिर किया था।

8. हमारे समक्ष अपीलकर्ता का निवेदन:

8.1 अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री डी0एन0 गोवर्धन द्वारा हमारे समक्ष अनवरत् तर्क किया गया है कि अभियोजन यह साबित करने में सक्षम नही हुआ था कि एक मात्र अपीलकर्ता मृतक की मृत्यु के लिए जिम्मेदार था क्योंकि घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नही था।

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि अपीलकर्ता के बंदूक पकड़ने के बारे में किसी साक्षी ने कुछ भी नही कहा था जब इसे घटना के सायंकाल/ रात में मृतक के साथ अभिकथित रूप से देखा गया था।

8.2 ''अंतिम बार देखी गई'' घटना भी जिस पर अभियोजन ने बहुत अधिक भरोसा किया है को साबित नहीं कहा जा सकता है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के

अनुसार साक्षीगण जिसने इन्हें एक साथ देखा था का साक्ष्य विश्वसनीय नही है। साक्षीगण में एक, दिग्विजय शिन्दे (अ0सा0 12) मृतक का छोटा भाई था। अन्य साक्षी अ0सा0 11 (अनिल बाबाराव भगत) अ0सा0 12 का मित्र था, अतः ये लोग हितबद्ध साक्षीगण थे। परिणामस्वरूप, इनके साक्ष्य पर भरोसा नही किया जा सकता है।

जहाँ तक अ0सा0 4 (अशोक शिन्दे), आटो रिक्शा चालक का संबंध है, वह निश्चित रूप से संयोगी साक्षी है तथा इस प्रकार, इसके साक्ष्य पर भरोसा नही रखा जा सकता है।

यह दो अन्य साक्षीगण अर्थात जाकिर मुल्ला (अ0सा0-3) तथा अशोक जमादार (अ0सा0-5) को छोड़ता है।

अ0सा0-3 ने कहा था कि इसने मृतक को मोटर साइकिल के पीछे वाले सीट पर बैठा देखा था, लेकिन इसने नही देखा था कि कौन मोटर साइकिल चला रहा है। इस प्रकार अंतिम बार देखे गये सिद्वांत का समर्थन करने के लिए इस साक्ष्य का अवलंब नही लिया जा सकता है क्योंकि मृतक को अपीलकर्ता के साथ नही देखा गया था।

जहाँ तक अन्य साक्षी, अर्थात अ0सा0-5 (अशोक जमादार) का संबंध है, इसे भी संयोगी साक्षी कहा जा सकता है, क्योंकि इसने मृतक तथा अपीलकर्ता को एक साथ देखा था जब वह कागावाड़ चक्कर पर खड़ा था।

तद्नुसार, अपीलकर्ता के लिए उपस्थित होते हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अपीलकर्ता एवं मृतक को एक साथ अंतिम बार देखे जाने के तथ्य को अकाट्य साक्ष्य से प्रमाणित नही कहा जा सकताहै। इस प्रकार, यदि इस परिस्थिति को विधि के अनुसार साबित नही हुआ अभिनिर्धारित किया जाता है, मामले में कुछ भी नही बचता है, क्योंकि किसी ने अपीलकर्ता द्वारा मृतक को गोली मारते नहीं देखा था जैसा अभियोजन द्वारा अभिकथित है न ही इन्हें खेत में एक साथ देखा गया था जहाँ मृतक का शव पाया गया था।

8.3 यह निवेदन किया गया है कि अपीलकर्ता के बताने पर मोबाइल फोन की बरामदगी साबित नही थी क्योंकि एस. साम्बा शिवकुमार, अ0सा0-25, मोबाइल दुकानदार ने अपीलकर्ता से किसी मोबाइल के खरीदने का स्पष्ट रूप से खण्डन किया था।

8.4 यह भी निवेदन किया गया है कि डी0बी0बी0एल0 बंदूक को अपीलकर्ता के बताने पर अभिग्रहीत नही किया गया था तथा वास्तव में, अपीलकर्ता के पितामह ने बंदूक पेश किया था जब पुलिस इसके निवास स्थान पर आई थी। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार अभिग्रहण साक्षीगण में एक, विलास मछेन्द्र डावरी (अ0सा0-7) ने स्पष्ट रूप से खण्डन किया था कि इसके उपस्थिति में किसी चीज को बरामद किया गया था, यद्यपि इसने स्वीकार किया था कि अभिग्रहण मेमो पर हस्ताक्षर किया गया था जैसा पुलिस द्वारा निदेश दिया गया था।

8.5 विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि स्वयं प्राक्षेपिकी रिपोर्ट संदिग्ध है। यद्यपि अभियोजन का मामला यह है कि अपीलकर्ता के पितामह के घर से जिन्दा कारतूस बरामद किया गया था, इसे प्राक्षेपिकी विशेषज्ञ को इसके राय हेतु नही दिया गया था तथा जहाँ तक दोनों कारतूसों का संबंध है जिसका उपयोग बंदूक के परीक्षण हेतु किया गया था, यह स्पष्ट नही है कि कि कैसे इन्हें खरीदा गया था तथा प्राक्षेपिकी विशेषज्ञ को दिया गया था। इस प्रकार अभियोजन के मामले में इस महत्वपूर्ण कड़ी को प्रमाणित नही कहा जा सकता है।

8.6 विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया है कि चूँकि अभियोजन का मामला पूर्णतया अंतिम बार देखे गये सिद्धांत पर आधारित है, अपराध करने के लिए किसी हेतु के अभाव में, जिसे वर्तमान मामले में प्रमाणित नही किया गया है, अंतिम बार देखे गये सिद्धांत की बुनियाद कमजोर हो जाती है।

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि विचारण न्यायालय ने भी अभिनिर्धारित किया है कि अपीलकर्ता तथा मृतक के बीच आर्थिक लेन देन को सही अर्थ में साबित नही किया गया था। इस प्रकार, अभियोजन के मामले का असली आधार यह है कि अपीलकर्ता ने मृतक द्वारा अपीलकर्ता से लिये गये ऋण को चुकता करने में असफल रहने के पश्चात् प्रतिशोध लेने के लिए मृतक की हत्या किया था अविद्यमान है। चूँकि हेतु को प्रमाणित नही किया गया था, परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित अभियोजन का मामला खड़ा नही हो सकता है।

8.7 यह भी अभिवचन किया गया है कि यह निश्चायक रूप से साबित नही किया जा सकता है कि खेत से बरामद शव मृतक का था क्योंकि शव अत्यधिक विघटित अवस्था में था।

8.8 अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया है कि अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य में कई असंगतियाँ तथा विरोधाभास है जैसा विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा उल्लेख किया गया था। फिर भी, दोनों न्यायालयों ने इन असंगतियों तथा विरोधाभासों की अनदेखी किया तथा साक्ष्य के केवल उन भागों पर भरोसा किया जो अपीलकर्ता को दोषसिद्ध करने के लिए अभियोजन के अनुकूल था।

8.9 तद्नुसार, अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि चूँकि इन परिस्थितियों में सुस्पष्ट अंतराल है तथा समुचित संयोजन नही है तथा ये परिस्थितियाँ युक्तियुक्त संदेह से परे साबित भी नही हैं, परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित अभियोजन का मामला असफल होना चाहिए।

यह निवेदन कियागया है कि यह नही कहा जा सकता है कि अभियोजन यह साबित करने में सक्षम रहा है कि सभी परिस्थितियाँ इस प्रकार के निश्चायक प्रकृति तथा प्रवृत्ति की है जो अपीलकर्ता ने मृतक की मृत्यु कारित किया था के सिवाय प्रत्येक संभव परिकल्पना को अपवर्जित करता है, एवं यह नही कहा जा सकता है कि वर्तमान मामले में प्रमाणित साक्ष्य की श्रृंखला इतनी पूर्ण है कि

इसने अपीलकर्ता के निर्दोषिता से संगत निष्कर्ष हेतु किसी युक्तियुक्त आधार को नही छोड़ा है तथा यह कि सभी संभावना में कार्य अपीलकर्ता द्वारा किया गया था।

9. हमारे समक्ष राज्य का निवेदन:

9.1 दूसरी तरफ, राज्य/अभियोजन के लिए उपस्थित होते हुए विद्वान अधिवक्ता सुश्री ईशा बक्शी ने प्रतिविरोध किया है कि अपीलकर्ता के अपराध की ओर जाने वाली सभी परिस्थितियों को साबित किया गया है जो मात्र इस निष्कर्ष की ओर से जाती है कि एक मात्र अपीलकर्ता मृतक की हत्या करने के लिए उत्तरदायी है।

9.2 विद्वान राज्य अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि प्रतिरक्षा ने गंभीरतापूर्वक शव की पहचान का खण्डन नहीं किया था तथा चूँकि अ0सा0-2, जो मृतक का पिता है तथा मृतक के भाई अ0सा0 12 ने फोटोग्राफ तथा मृतक द्वारा पहने गये वस्त्र पर आधारित शव की पहचान किया था, शव के पहचान के बारे में कोई संदेह नही हो सकता है। पूर्वोक्त साक्ष्य को इस तथ्य द्वारा मजबूत किया गया है कि मोटर साइकिल की चाबी को मृतक के जेब में पाया गया था।

9.3 यह भी निवेदन किया गया है कि अपराध के करने के लिए हेतु को सम्यक् साबित किया गया था क्योंकि यह प्रमाणित किया गया है कि मृतक ने अपीलकर्ता से रू0 4000/- (रुपया चार हजार मात्र) की धनराशि उधार लिया था जिसके संबंध में इनके बीच झगड़ा हुआ था जिसे अ0सा0 4 अशोक आर शिन्दे द्वारा देखा गया था।

9.4 यह भी निवेदन किया गया है कि कुल पाँच प्रत्यक्षदर्शी-साक्षीगण थे जिसने इसके शव को तीन दिनों के बाद पाये जाने के पहले सायंकाल में अपीलकर्ता को मृतक के साथ देखा था। मृतक को 10-07-2006 को लगभग 9 बजे रात अपीलकर्ता के साथ देखा गया था तथा इसे लापता पाया गया था जैसा इसके पिता (अ0सा0-2) के साक्ष्य द्वारा स्पष्ट है, जिसने 12-07-2006 को गुमशुदगी रिपोर्ट दाखिल किया था। शव को 13-07-2006 को बरामद किया गया था एवं इस मध्यवर्ती अवधि के दौरान मृतक के कही और उपस्थिति को प्रदर्शित करने के लिए साक्ष्य नही है तथा इस प्रकार, कोई संदेह नही हो सकता है कि चूँकि अपीलकर्ता को अंतिम बार मृतक के साथ देखा गया था, अंतिम बार एक साथ देखे जाने के पश्चात् मृतक के पता ठिकाना को बताने का भार अपीलकर्ता पर था जिसे वह न्यायालय के समक्ष स्पष्ट करने में विफल था। इसलिए, अप्रतिरोध्य निष्कर्ष जिसे निकाला जा सकता है यह है कि अपीलकर्ता मृतक के मृत्यु के लिए उत्तरदायी है।

9.5 विद्वान राज्य अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि स्पष्ट रूप से यह अभिलेख पर आया है कि अपीलकर्ता 11-07-2006 से 22-07-2006 तक पूर्वोक्त अवधि के दौरान फरार था जब पुलिस ने अंततोगत्वा इसे 22-07-2006 को मिराज में गिरफ्तार किया था। इस प्रपलायन तथा अन्य को गुमराह करने के इसके

प्रयास को स्पष्ट रूप से इसके स्वयं के मित्र तथा सहपाठी देवराज सूतर (अ0सा0-14) के साक्ष्य द्वारा साबित किया गया हैं

विद्वान राज्य अधिवक्ता के अनुसार सभी साक्ष्य स्पष्ट रूप से यह प्रदर्शित करते हैं कि अपीलकर्ता अपने पता ठिकाना के बारे में अपने संबंधियों तथा अन्य को गुमराह करने का प्रयास कर रहा था तथा छिपने का प्रयास कर रहा था जो स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता के दूषित मन के बारे में निश्चयार्थ है।

9.6 यह भी निवेदन किया गया है कि अभियोजन, प्राक्षेपिकी विशेषज्ञ की राय पर भरोसा करते हुए साबित किया है कि विचारण न्यायालय के समक्ष पेश बंदूक का उपयोग अपराध करने के लिए किया गया था। यह भी प्रमाणित किया गया है कि छर्रा तथा गद्दी जिसे मृतक के खोपड़ी गुहिका से बरामद किया गया था 12 बोर कारतूस का हिस्सा था तथा प्राक्षेपिकी विशेषज्ञ, अ0सा0-30 के अनुसार बंदूक से दागा जा सकता था। इस प्रकार इस बात में कोई संदेह नही हो सकता है कि अपीलकर्ता ने ही डी0बी0बी0एल0 बंदूक से मृतक को गोली मारकर मृत किया था।

10 इस न्यायालय द्वारा विश्लेषण तथा निष्कर्ष -

10.1 हमने अपने समक्ष उठाये गये विवाद्यकों के संबंध में उत्सुकतापूर्वक विचार किया है तथा सावधानीपूर्वक अभिलेख पर साक्ष्य की पड़ताल किया है।

10.2 जैसा ऊपर चर्चा की गई है, मामला विक्रम शिन्दे के मृत्यु के आसपास चक्कर लगाता है, जिसके शव को खेत में पाया गया था। अपीलकर्ता इस आधार पर इसके मृत्यु में आलिप्त किये जाने के लिए ईप्सित है कि इसे तीन दिनों के बाद शव के पाये जाने के पहले मृतक के साथ अंतिम बार एक साथ देखा गया था तथा इसलिए क्योंकि मृतक के सिर पर बंदूक के गोली से क्षति पहुँची थी, जिसके कारण वह मर गया था तथा अपीलकर्ता के बताने पर दो नली बंदूक को इसके पितामह के घर से बरामद किया गया था, जिसके साथ अपीलकर्ता रूका था। प्राक्षेपिकी परीक्षण पर आधारित न्याय संबंधी साक्ष्य से प्रदर्शित होता है कि बंदूक काम कर रही थी तथा उपयोग किया गया था एवं मृतक के खोपड़ी के गुहिका तथा मस्तिष्क में पाये गये छर्रा तथा गद्दी को उक्त बंदूक से दागा जा सकता है।

चूँकि, विक्रम शिन्दे के मृत्य पर कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नही था, अभियोजन मामला पूर्णतया परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है।

10.3 चूँकि अभिकथन हत्या का अपराध करने के बारे में है, प्रारम्भ की जाने वाली पहली तथा प्रमुख कवायद यह अभिनिश्चय करना है कि क्या यह आत्महत्या या आकस्मिक मृत्यु का मानवघाती का मामला है।

इस बात पर बहुत अधिक विवाद होना प्रतीत नही होता है कि यह मानवधाती का मामला है।

तथ्य कि मृतक बंदूक के गोली के क्षतियों के कारण अप्राकृतिक मृत्यु मरा था पर मृत्योपरांत परीक्षण तथा न्याय संबंधी साक्ष्य के आलोक में संदेह नही किया जा सकता है। चिकित्साधिकारी, अ0सा0-28, जिसने मृत्योपरांत परीक्षण किया

था अपनी अंतिम राय दिया था कि मृत्यु का कारण महत्वपूर्ण अंगों की प्राक्षेपिकी क्षतियाँ थी। यद्यपि अपीलकर्ता द्वारा स्वयं मृत्योपरान्त परीक्षण रिपोर्ट पर अभ्याक्रमण किया गया है, पंच साक्षीगण के अन्य विद्यमान साक्ष्य के दृष्टिगत बंदूक के गोली से क्षति के कारण अप्राकृतिक मृत्यु के बारे में कोई रंचमात्र भी संदेह नही हो सकता है। इस प्रकार यह मानवघाती का स्पष्ट मामला है।

मृतक के सिर पर पहुँचे बंदूक के गोली के क्षति के प्रकृति को मानते हुए तथा मृतक के हाथ में या इसके शव के निकट किसी बंदूक के बरामदगी के अभाव में तथा चूँकि बंदूक की गोली हथियार के नालमुख से 3 फिट की दूरी के अन्दर दागी गई थी तथा बंदूक की गोली के घाव का निर्गम चेहरे में था, आत्मघाती बंदूक के गोली के क्षति का निश्चित रूप से वर्जन नही किया जा सकता है।

यह कि यह आकस्मिक मृत्यु का मामला भी नही है स्पष्ट रूप से इस प्रकार संकेत देने वाले किसी साक्ष्य के अभाव के कारण निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

10.4 चूँकि हम आगे अग्रसर होते हैं, यह उल्लेखनीय है कि, वत्रमान मामले में, यद्यपि अपीलकर्ता ने यह प्रदर्शित करने का कमजोर प्रयास किया था कि शव जिसे खेत से बरामद किया गया था विक्रम शिन्दे का नही था, जो लापता था, मृतक के पिता अ0सा0 2 अजित राव शिन्दे तथा मृतक के भाई अ0सा0 12 दिग्विजय शिन्दे के साक्ष्य के कारण, जिसने मृतक के स्वेटर, पैण्ट के शिनाख्त तथा मृतक के पैन्ट से मोटर साइकिल की कुंजी के बरामदगी पर आधारित शव की शिनाख्त किया था, शव के शिनाख्त के बारे में कोई संदेह नही हो सकता है।

10.5 अब हम एक साथ अंतिम बार देखे जाने के सबसे अधिक निर्णायक परिस्थिति पर विचार करेगे जिस पर अपने प्रतिद्वन्दी प्रतिविरोधों के समर्थन में दोनों मुकदमा लड़ने वाले पक्षकारों द्वारा अधिक बल दिया गया है।

10.5.1 अंतिम बार देखा गया सिद्धांत पाँच साक्षीगण, अर्थात, जामिर पी0 मुल्ला (अ0सा0-3), अशोक आर0 शिन्दे (अ0सा0-4), अशोक आर0 जमादार (अ0सा0-5), अनिल बाबा राव भगत (अ0सा0-11) तथा दिग्विजय शिन्दे (अ0सा0-12) के साक्ष्य पर आधारित है।

105.2 अ0सा0-3, जामिर पी0 मुल्ला ने अपीलकर्ता तथा मृतक दोनों को जानने का दावा किया है। इसने कहा था कि 10-07-2006 को लगभग 8.30 बजे रात में जब वह अम्बिका नगर में सड़क के बगल में खड़ा था, इसने मोटर साइकिल के पीछे बैठे मृतक विक्रम शिन्दे को देखा था तथा इसे देखने के बाद इसे शुभ कामना दिया था। मोटर साइकिल नारावाड़ की तरफ गई थी। फिर भी, इसने कहा था कि वह नही जानता था कि कौन मोटर साइकिल चला रहा है। इसने यह भी कहा था कि इसने किसी वस्तु को मोटर साइकिल पर ले जाते नही देखा था।

इस विर्निदिष्ट साक्ष्य के दृष्टिगत कि इसने नही देखा था कि कौन मोटर साइकिल चला रहा है इसके साक्ष्य का प्रयोग स्वतंत्रतापूर्वक अपीलकर्ता के

विरुद्ध अंतिम बार देखे गये सिद्धांत का समर्थन करने के लिए नही किया जा सकता है जब तक अन्य साक्ष्य द्वारा सहारा नही दिया जाता है। यद्यपि उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया था, प्रति-परीक्षा में, इस साक्षी ने दोहराया है कि इसने मृतक विक्रम शिन्दे को मोटर साइकिल पर जाते देखा था तथा वह बाद में कपड़े जिसे वह पहना था जब इसने इसे अंतिम बार देखा था से शव की शिनाख्त विक्रम शिन्दे के शव के रूप में कर सका था। इस प्रकार यह साक्ष्य अन्य साक्षीगण के साक्ष्य से संगत है जिसने मृतक विक्रम शिन्दे को अपीलकर्ता के साथ मोटर साइकिल पर जाते देखा था।

10.5.3 अभियोजन द्वारा भरोसा किया गया अन्य साक्षी अशोक आर. शिन्दे (अ0सा0-4) है, जेा आटो रिक्शा ड्राइवर था जो मृतक तथा अपीलकर्ता दोनों को जानता था। अ0सा0-4 ने कहा था कि 10-07-2006 को लगभग 5:45-6:00 बजे अपराह्न, जब वह कर्मवीर विद्यालय हाईस्कूल ग्राउण्ड पार्किंग के निकट खड़ा था, अपीलकर्ता तथा मृतक दोनों इसके आटो रिक्शा के निकट आए थे तथा इसने इन्हें किसी पैसे के लेनदेन पर चर्चा करते सुना था तथा अपीलकर्ता को मृतक से कुछ धनराशि वापस मांगते सुना गया था जिसके संबंध में मृतक ने कोई जानकारी होने से इंकार किया था। इसने मृतक द्वारा अपीलकर्ता को हरामखोर के रूप में गाली देते सुना था यद्यपि अपीलकर्ता ने इसकी प्रतिक्रिया नही किया था। इसने यह भी कहा था कि इसने इन्हें शिकार करने के बारे में बातचीत करते सुना था। इसने कहा था कि चूँकि ये लोग बातचीत कर रहे थे, यात्रीगण आए तथा तत्पश्चात् इनके चर्चा पर कोई आगे ध्यान नही दिया था।

इस साक्ष्य से यह प्रदर्शित होता है कि अपीलकर्ता एवं मृतक, जो मित्र थे, बाद में पुनः अशोक आर0 जमादार (अ0सा0-5) द्वारा मोटर साइकिल चलाते हुए एक साथ देखे जाने के थोड़ा पहले एक साथ थे। यह साक्ष्य भी किसी पैसा के मामलों तथा शिकार हेतु इनके योजना पर दोनों पक्षकारों के बीच तर्क करने के लिए सुसंगत होगा।

10.5.4 अशोक आर0 जमादार (अ0सा-5) अन्य साक्षी है जिसके जरिए अभियोजन अंतिम बार देखे गये सिद्धांत को प्रमाणित करना चाहता है। अ0सा0-5 अपीलकर्ता तथा मृतक दोनों के परिवारों को जानता था। इसने अभिसाक्ष्य दिया था कि 10-07-2006 को लगभग 9:15 बजे रात में, जब वह माहीश्याल जाने के लिए कागावड़ चक्कर पर खड़ा था, इसने अपीलकर्ता एवं मृतक को शिरागुप्पी साइड की ओर मोटर साइकिल पर एक साथ जाते देखा था। इन्हें देखने के बाद, इसने अपना हाथ हिलाया था। इसने यह भी कहा था कि मृतक बैग लिये था तथा इससे बातचीत किया था, लेकिन इसने अपीलकर्ता से बातचीत नही किया था। तत्पश्चात, वह माहीश्याल आया था। बाद में 14-07-2006 को वह विक्रम शिन्दे के हत्या के बारे में जाना था जब लोग इसके बारे में बातचीत कर रहे थे तथा तत्पश्चात्, वह मामले के संबंध में अन्य के साथ कगवाड़ा पुलिस थाना गया था।

यद्यपि इसे पक्षद्रोही साक्षी घोषित किया गया था क्योंकि वह अन्वेषण के दौरान किये गये अपने पहले के कथन से मुकर गया था, इसने अपने प्रति-परीक्षा के दौरान दोहराया था कि अपीलकर्ता मोटर साइकिल चला रहा था तथा मृतक शिरागुप्पी की ओर जाते हुए मोटर साइकिल पर इसके साथ था। अपीलकर्ता की ओर से साक्षी को पूर्णतया प्रति-परीक्षित किये जाने के बावजूद, इससे कुछ भी निष्कर्ष नही निकाला सका जिससे इसके परिसाक्ष्य पर कोई संदेह किया जा सके जहाँ तक शव के पता चलने के पहले इनके अंतिमबार एक साथ देखे जाने के इस महत्वपूर्ण साक्ष्य का संबंध है।

हमारी राय में, यदि उक्त साक्षी ने अभियोजन मामले का पूर्णतया समर्थन नही किया था तथा अन्वेषण के दौरान दिये गये अपने पहले के कथन से मुकर गया था, कथन से इसे मुकरने के लिए किसी ने नही रोका था कि इसने अपीलकर्ता एवं मृतक को एक साथ देखा था। यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि अ0सा0-5 को पक्षद्रोही घोषित किया गया था, इसने अपने प्रति-परीक्षा में दोहराया था कि इसने मृतक तथा अपीलकर्ता को एक साथ देखा था। इस प्रकार, जहाँ तक इस पहलू का संबंध है इसका साक्ष्य विश्वसनीय है।

10.5.5 पूर्वोक्त साक्षी अ0सा0-5 के साक्ष्य को इस आधार पर चुनौती दिये जाने की मांग की गई है कि वह संयोगी साक्षी है तथा इस प्रकार इसके साक्ष्य की उपेक्षा की जाय।

मैं नही मानता हूँ कि इसकी उपेक्षा की जा सकती है। यह इस कारण है कि वह अपीलकर्ता तथा मृतक दोनों को जानता था तथा कुछ भी ऐसा प्रकट नही किया गया था कि वह अपीलकर्ता का विरोधी था तथा मृतक से अधिक दोस्ताना था। वह घटनास्थल में कहीं से भी अचानक न प्रकट होने वाला अजनबी नही थी। अ0सा0-5 ने इस कारण के संबंध में अपने प्रति-परीक्षा में बताया था कि क्यों वह कागावाड़ गोल पर मौजूद था जब इसने इन्हें एक साथ देखा था। इसने कहा था कि वह अपने संबंधियों में से एक से मिलने कागावाड़ गया था। घर लौटते समय, वह माही श्याल के लिए बस पकड़ने के लिए उक्त चक्कर से होकर गुजर रहा था। अतः हम इसके परिसाक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नही देखते है।

10.5.6 इसके अलावा, भले ही इसे संयोगी साक्षी माना जाता है जिसने संयोग से मोटर साइकिल पर जाते हुए अपीलकर्ता तथा मृतक को एक साथ देखा है, फिर भी ***राजेश यादव तथा एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2022) 12 एससीसी 200*** में इस न्यायालय के निर्णय के आलोक में परिसाक्ष्य की उपेक्षा नही की जा सकती है जिसमें यह निम्नवत् अभिनिर्धारित किया गया थाः-

"29. संयोगी साक्षी वह साक्षी होता है जो संयोग से अपराध के घटित होने के स्थान पर होता है तथा इसलिए अनुक्रम के अनुसार नही। दूसरे शब्दों में, इससे उक्त स्थान पर होने की अपेक्षा नही की जाती है। एक व्यक्ति जो सड़क पर जा रहा है जिसने अपराध के किये जाने को देखा है संयोगी साक्षी

हो सकता है। मात्र इसलिए क्योंकि साक्षी संयोग से घटना को देखता है, इसके परिसाक्ष्य को दूर नही किया जा सकता है यद्यपि कभी-कभी कुछ और छानबीन आवश्यक हो सकता है। यह पुनः पहलू है जिसकी जांच न्यायालय द्वारा प्रस्तुत मामले में की जानी चाहिए। हम विधि के पूर्वोक्त दृष्टिकोण को दोहराना नही चाहते हैं जिसे आन्ध्र प्रदेश राज्य बनाम के श्री निवासुलू रेड्डी (आन्ध्र प्रदेश राज्य बनाम के0 श्रीनिवासुलु रेड्डी (2003) 12 एससीसी 660: 2005 एससीसी (क्रि 817) : (एससीसी पे0 665-66, पैरा 12-13) में इस न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से अधिकथित किया गया है।

> *"12. अ0सा0 4 तथा 9 जो स्वतंत्र साक्षीगण है के साथ के विरुद्ध इन्हें संयोगी साक्षी के रूप में चिन्हित करते हुए आलोचना की गई है। अ0सा04 तथा 9 के संयोगी साक्षीगण होने के बारे में आलोचना भी निराधार है। इन लोगों ने स्पष्ट रूप से बताया है कि कैसे ये लोग घटना स्थल पर थे एवं विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने इसे स्वीकार किया है।*
>
> *13. अभियुक्त के इस अभिवाक् पर आते हैं कि अ0सा04 तथा 9 "संयोगी साक्षीगण" थे जिन्होंने यह स्पष्ट नही किया है कि कैसे ये लोग अभिकथित घटना स्थल पर थे, यह उल्लेखनीय है कि उक्त साक्षीगण स्वतंत्र साक्षीगण थे। साक्षीगण के संबंध में कोई प्रस्ताव भी नही है कि इनका किसी अभियुक्तगण के प्रति कोई विद्वेष था। हत्या के विचारण में स्वतंत्र साक्षीगण को "संयोगी साक्षीगण" के रूप में बताते हुए इसके द्वारा यह विवक्षित नही किया जा सकता है कि इनका साक्ष्य संदिग्ध है तथा घटना स्थल पर इनकी उपस्थिति संदिग्ध है। हत्याएँ इनके उपस्थिति का अनुरोध करते हुए साक्षीगण को पूर्व सूचना के साथ नही की जाती है। यदि हत्या एक निवास स्थान में की जाती है, घर के संवासी स्वाभाविक साक्षीगण होते हैं। यदि हत्या सड़क पर की जाती है, मात्र राहगीर साक्षीगण होगे। इस आधार पर इनके साक्ष्य को दर किनार नही किया जा सकता है या इस आशंका से देखा जाता है कि ये लोग मात्र "संयोगी साक्षीगण" है। अभिव्यक्ति "संयोगी साक्षी" को उन देशों से उधार लिया गया है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति के घर को इसका दुर्ग माना जाता है तथा हर किसी के पास कहीं और या एक दूसरे व्यक्ति के दुर्ग में अपने उपस्थिति हेतु स्पष्टीकरण होना चाहिए। ऐसे देश में अभिव्यक्ति पूर्णतया अनुपयुक्त है जहाँ लोग अपने उपस्थिति का स्पष्ट करते हुए मामले में कम से कम कम दिखाऊ तथा अधिक लापरवाह होते हैं।"*

10.5.7 अ0सा0-11 तथा अ0सा0-12 ने 10-07-2006 के सायंकाल में बस स्टैण्ड के निकट अपीलकर्ता एवं मृतक को एक साथ देखा था।

अ0सा0-12 मृतक का भाई है। इसके अनुसर, इसका मृतक भाई स्कूटर पर सायंकाल में 7:45 के बाद घर से बाहर गया था। जब अ0सा0-12 सायंकाल बसस्टेण्ड के निकट अपने मित्र, अनिल भगत, अ0सा0-11 से मिलने गया था, इसने बस स्टैण्ड पर स्कूटर पर मृतक तथा अपीलकर्ता दोनों को एक साथ आते देखा था तथा इसके भाई ने इससे (अ0सा0-12) यह कहते हुए स्कूटर घर ले जाने के लिए कहा था कि वह घर बाद में आयेगा। तथापि इसका भाई वापस नही लौटा था।

अ0सा0-12 का मित्र अ0सा0-11 अ0सा0-12 के पूर्वोक्त साक्ष्य की संपुष्टि करता है। अ0सा0-11 ने कहा था कि वह अपीलकर्ता से परिचित था क्योंकि वह अपीलकर्ता के गांव से था। अ0सा0-11 ने कहा था कि वह मृतक को भी जानता था। इसके अनुसार जब वह 10-07-2006 को लगभग 8:00 बजे सायंकाल में माहीश्याम बसस्टैण्ड के निकट था, मृतक का भाई दिग्विजय वहाँ आया था, तथा जब ये लोग बातचीत पर रहे थे, अपीलकर्ता तथा मृतक स्कूटर पर वहाँ आए थे। तत्पश्चात् विक्रम शिन्दे (मृतक) ने अपने भाई दिग्विजय (अ0सा0-12) को यह बताते हुए स्कूटर घर ले जाने की हिदायत दिया था कि वह बाद में लौटेगा। इसने अपीलकर्ता को यह कहते हुए भी सुना था कि वह शिकार खेलने हेतु जायेगा।

उपरोक्त साक्ष्य पर आधारित, विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों इस निष्कर्ष पर आए थे कि मृतक को अंतिम बार एक साथ 10-07-2006 को 13-07-2006 के प्रातःकाल में शव के पता चलने के पहले देखा गया था।

10.5.8 अ0सा0-11 का कहना है कि वह अपीलकर्ता से परिचित था क्योंकि वह एक ही गांव से था। अतः हम इसके विश्वसनीयता पर संदेह करने का कोई कारण नही देखते हैं क्योंकि इसके द्वारा अपने स्वयं के सह-ग्रामीण के विरुद्ध झूठे-मूठे साक्ष्य देना संभाव्य है तथा वह मृतक के भाई अ0सा0-12 के साक्ष्य की संपुष्टि करता है।

जहाँ तक अ0सा0-5 का संबंध है, यद्यपि प्रतिरक्षा ने इस पर संदेह प्रकट करने का जोरदार प्रयास किया था क्योंकि वह पहले मृतक के पिता अ0सा0-2 के लिए काम कर रहा था, जहाँ तक अंतिम बार एक साथ देखे जाने के इस तथ्य का संबंध है इसके परिसाक्ष्य पर संदेह प्रकट करने के लिए कुछ भी निष्कर्ष नही निकाला जा सका है।

हमारी राय है कि जबकि अ0सा-5, अ0सा-11 तथा अ0सा0-12 का साक्ष्य अंतिम बार देखे गये सिद्धांत का समर्थन करता है, अ0सा0-3 तथा अ0सा-4 का साक्ष्य इस परिस्थिति को सुदृढ़ करता है।

10.5.9 हमने इस बात पर भी ध्यान दिया है कि इन साक्षीगण से विनिदिष्ट प्रश्नों को पूछा गया था कि यदि इन लोगों ने 10-07-2006 के रात को अपीलकर्ता तथा मृतक को एक साथ जाते देखा था, क्यों 13-07-2006 को शव का पता लगने के पहले इस सूचना को पहले मृतक के पिता अ0सा0-2 को नही दिया गया था।

यह उल्लेखनीय है कि शव के पता चलने तथा शिनाख्त किये जाने तक यद्यपि मृतक 10/11-07-2006 से लापता हो सकता था, जनसाधारण मृतक के लापता होने के बारे में तब तक सरोकार नही रख सकते हैं, जब तक परिवार के सदस्यों ने विशेष रूप से इनसे मृतक के बारे में नही पूछा था। मात्र 14-07-2006 को शव की शिनाख्त किये जाने तथा जनसाधारण की जानकारी में लाये जाने के पश्चात साक्षीगण इस प्रकार के किसी सुसंगत सामग्री तथा पहले अपीलकर्ता के साथ मृतक के देखे जाने के बारे में जानकारी देने के लिए आगे आना संभाव्य था। इसलिए, अभियोजन साक्षीगण जिसने अपीलकर्ता को मोटर साइकिल पर जाते देखा था द्वारा पहले मृतक के परिवार के सदस्यों को सूचना न देना या 10-7-2006 के रात को मोटर साइकिल पर अपीलकर्ता एवं मृतक को एक साथ जाते देखना इनके परिसाक्ष्य पर अविश्वास करने हेतु आधार नही हो सकता है।

इन परिस्थितियों में यह नही कहा जा सकता है कि विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालने में गंभीर अवैधता किया है कि मृतक तथा अपीलकर्ता को अंतिम बार एक साथ देखा गया था या कि उक्त निष्कर्ष तात्विक साक्ष्य की अनदेखी करना या अभिलेख पर साक्ष्य के विरुद्ध था।

10.6 अगला तथा सबसे अधिक निर्णायक विचार यह होगा कि कैसे अपीलकर्ता को मृतक के मृत्यु से जोड़ा जा सकता है।

10.6.1 हमारी राय में, संबंध को निम्न परिस्थितियों तथा प्रमाणित तथ्यों के आधार पर प्रमाणित किया जाता है।

(i) मृतक के शव का पता 10-07-2006 को मृतक का अपीलकर्ता के साथ अंतिम बार देखे जाने के तीन दिनों के बाद 13-7-2006 को विघटित अवस्था में चला था।

(ii) चिकित्साधिकारी जिसने 13-07-2006 को मृत्योपरांत परीक्षण किया था के अनुसार, मृत्यु मृत्योपरांत परीक्षण के 3/4 दिनों के पहले हुई थी जो उस समय से संगत है जब मृतक को अपीलकर्ता के साथ अंतिम बार देखा गया था।

(iii) शव का पता सिर पर बंदूक के गोली के घावों से चला था।

(iv) 2 खर्च तथा 1 जिन्दा करतूसों के साथ दोहरे नाल की बंदूक को अपीलकर्ता कें बताने पर बरामद किया गया था।

(v) प्राक्षेपिकी विज्ञानी के राय के अनुसार,

(क) बंदूक से दागे जाने का संकेत प्रदर्शित होता है।

(ख) बंदूक काम करने के स्थिति में था।

(ग) छर्रा तथा गद्दे को शव के मस्तिष्क/खोपड़ी से बरामद किया गया था तथा इसे जाचे गये बंदूक के जरिए दागा जा सकता था।

(घ) दोहरे नाल के बंदूक को विखण्डित किया जा सकता है।

10.6.2 पूर्वोक्त निम्न परिस्थितियों तथा अपीलकर्ता के कार्यों द्वारा समर्थित है, जो संयोजन को मजबूत करता है।

(i) अपीलकर्ता 11-07-2006 से 22-07-2006 तक छिपा था। इसे 14-07-2006 को शव के पहचान के शिनाख्त के बाद कई स्थानों पर विस्तृत तलाशी के बाद 22-7-2006 को गिरफ्तार किया गया था।

(ii) अपीलकर्ता ने अपने मित्रों, अपने परिवार के सदस्यों तथा मृतक के मित्रों, परिवार के सदस्यों को गुमराह किया था।

(iii) सोने के जंजीर जैसे मृतक के निजी चीजबस्त को अपीलकर्ता से बरामद किया गया था।

पूर्वोक्त परिस्थितियों तथा कार्यों की चर्चा अधिक विस्तार में निम्नवत् की जाती है।

10.6.3 जहाँ तक शव के बरामदगी का संबंध है, अ0सा-1 अरूण कुमार मिनाचे ने कहा था कि 13-7-2006 को, इसके मजदूर गन्ने की फसल को नापने के लिए खेत में गये थे। 9:30 बजे पूर्वाह्न, इसके मजदूरों में एक इसके घर आया था तथा इसे बताया था कि मृत पुरुष का शव गन्ने के खेत में पड़ा है। तत्पश्चात्, अ0सा0-1 गन्ना के खेत में गया तथा विघटित अवस्था में शव को पाया था। मामले की जानकारी उपर्युक्त दिन को पुलिस को दिया गया था।

यह उल्लेखनीय है कि जबकि मृतक को 10-07-2006 की रात से लापता पाया गया था तथा तत्पश्चात् 13-07-2006 को मृत पाया गया था, अपीलकर्ता को 11-7-2006 से 22-7-2006 तक पुलिस द्वारा इसके गिरफ्तार होने तक लापता पाया गया था।

10.6.4 यद्यपि, शव का पता 13-07-2006 को मृतक के लापता होने के तीन दिनों के बाद चला था, फारेंसिक विशेषज्ञ के राय के अनुसार, मृतक के मृत्यु का समय 13-07-2006 को मृत्योपरांत परीक्षण के पहले 3 से 4 दिनों के बीच था, इस प्रकार संकेत मिलता है कि मृतक लापता होने के तुरन्त बाद मर गया था।

10.6.5 इस प्रक्रम पर, अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोवर्धन द्वारा पेश महत्वपूर्ण तर्क को बताना उपयुक्त हो सकता है जिसने तर्क दिया है कि वर्तमान मामले में अंतिम बार देखा गया सिद्धांत इस सामान्य कारण से लागू नहीं होता है कि अपीलकर्ता तथा मृतक के अंतिम बार एक साथ देखे जाने तथा समय जब मृतक के शव का पता चला था के बीच लंबा समयान्तराल है।

मृतक को अपीलकर्ता के साथ अंतिम बार 10-07-2006 की रात में देखा गया था तथा मृतक के शव का पता 13-07-2006 को तीन दिनों के अन्तराल के बाद चला था।

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि समयान्तराल इतना कम होना चाहिए जिससे मृतक के साथ किसी अन्य व्यक्ति के संगति में होने की संभावना का वर्जन किया जाना चाहिए। अतः इस लम्बे समयान्तराल के कारण, अभियोजन द्वारा अवलंब किये जाने के लिए इप्सित अंतिम बार देखा गया सिद्धांत इस युक्तियुक्त संदेह को उद्भूत करते हुए अपनी शक्ति खो देता है कि क्या अपीलकर्ता वास्तविक अपराधी है या नहीं।

10.6.6 इस संबंध में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने गोवा **राज्य बनाम संजय ठाकरान तथा एक अन्य (2007) 3 एससीसी 755** में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है जिसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है किः-

*"**31.** हमारे द्वारा अ0सा0 11 दिनेश अधिकारी के साक्ष्य का विश्लेषण करने के पहले, जो बार तथा रेस्टोरेन्ट इगौना मिराज के घरेलू नौकर के रूप में काम करता था, अ0सा0 14 कलवर्ट गोनसाल्वेस, जो रेस्टोरेन्ट के विश्राम कक्ष के बाहर 27-2-1999 के सायंकाल को कथित पर अभियुक्त-1 तथा प्रतिरक्षा-1 के संगति में था तथा अ0सा0-06 अमित बनर्जी, जो होटल सीमा के स्वागती के रूप में काम करता था, हम "एक साथ अंतिम बार देखे गये" के बिन्दु पर इस न्यायालय के कतिपय निर्णयों को निर्दिष्ट करेगें। यह आपराधिक विधिशास्त्र का सुस्थापित नियम है कि आशंका, कितनी भी गंभीर क्यों न हो, सबूत का स्थान नही ले सकता है तथा न्यायालय मात्र परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाने में सर्वाधिक सावधानी बरतेगा। इस न्यायालय ने निम्नवत् बोधराज बनाम जम्मू एवं कश्मीर राज्य (2002) 8 एससीसी 45: 2003 एससीसी (क्रि) 201) में एक साथ अंतिम बार देखे गये सिद्वांत के संदर्भ के साथ उपरोक्त सामान्य सिद्धांत को लागू किया हैः (एससीसी पे 63, पैरा 31)*

*"**31.** अंतिम बार देखा गया सिद्धांत वहाँ लागू होता है जहाँ उस समय जब अभियुक्त तथा मृतक को अंतिम बार जीवित देखा गया था तथा जब मृतक को मृत पाया जाता है के बीच समयान्तराल इतना कम होता है कि अभियुक्त के अतिरिक्त किसी व्यक्ति के अपराध का कर्ता होने की संभावना असंभव हो जाती है। सकारात्मक रूप से प्रमाणित करना कुछ मामलों में कठिन होगा कि मृतक को अंतिम बार अभियुक्त के साथ देखा गया था जब लम्बा अंतराल होता है तथा अन्य व्यक्तियों के बीच में आने की संभावना विद्यमान होता है। यह निष्कर्ष निकालने के लिए किसी अन्य सकारात्मक साक्ष्य के अभाव में कि अभियुक्त तथा मृतक को अंतिम बार एक साथ देखा गया था, इन मामलों में अपराध के निष्कर्ष पर आने के लिए खतरनाक होगा।"*

*"**32.** राम रेड्डी राजेश खन्ना रेड्डी (2006) 10 एससीसी 172: (2006) 3 एससीसी (क्रि) 512: जेटी (2006) 4 एससी 16) में इस न्यायालय ने आगे विचार व्यक्त किया था कि ऐसे मामलों से भी जब उस समय जब अभियुक्त तथा मृतक को अंतिम बार जीवित देखा गया था तथा जब मृतक को मृत पाया गया था के बीच समयान्तराल इतना कम है कि अभियुक्त के अलावा किसी व्यक्ति के अपराध का कर्ता होने के संभावना असंभव हो जाती है, न्यायालयों को काफी संपुष्टि की तलाश करनी चाहिए।"*

10.6.7 फिर भी, यह उल्लेखनीय है कि इस न्यायालय ने ***संजय ठाकरन*** (ऊपर) के पूर्वोक्त निर्णय में यह भी संप्रेक्षित किया था कि सभी मामलों में यह नही कहा जा सकता है कि अंतिम बार एक साथ, देखे गये के साक्ष्य को मात्र इसलिए नामंजूर किया जाना चाहिए क्योंकि समयान्तराल पर्याप्त लम्बी अवधि का है, जैसा पूर्वोक्त निर्णय के पैरा 34 में बताया गया है जिसे यहाँ निम्नवत् दोहराया जाता है।

"34 इस न्यायालय द्वारा अधिकथित सिद्धांत से, एक साथ अंतिम बार देखे गये परिस्थिति को सामान्यतया अभियुक्त को आरोपित अपराध का दोषी ढूढ़ निकालने के लिए ध्यान में रखा जायेगा जब अभियोजन द्वारा यह साबित किया जाता है कि उस समय के बीच समयान्तराल जब अभियुक्त तथा मृतक को एक साथ जीवित पाया गया था तथा जब मृतक को मृत पाया गया था इतना कम है कि मृतक के साथ किसी अन्य व्यक्ति के होने की संभावना का पूर्णतया वर्जन किया जा सकता है। मृतक के साथ में अभियुक्त व्यक्तियों के देखे जाने तथा अपराध के खोज के बीच समयान्तराल साक्ष्य के मूल्यांकन तथा अभियुक्त के विरुद्ध परिस्थिति के रूप में इस पर भरोसा रखने के बीच समयान्तराल तात्विक विचार होगा। लेकिन सभी मामलों में, यह नही कहा जा सकता है कि एक साथ अंतिम बार देखे गये के साक्ष्य को मात्र इसलिए नामंजूर किया जाना चाहिए क्योंकि अभियुक्त व्यक्तियों तथा मृतक के अंतिम बार एक साथ देखे गये तथा अपराध के प्रकाश में आने के बीच समयान्तराल पर्याप्त लंबी अवधि (एवमेव) के बाद है। इस संबंध में समयान्तराल के अवधि हेतु निर्धारित या जकड़जामा फार्मूला नही हो सकता है तथा यह मध्यवर्ती अवधि में मृतक के किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलने की संभावना को दूर करने के लिए अभियोजन द्वारा पेश साक्ष्य पर निर्भर होगा, अर्थात, यदि अभियोजन इस प्रकार का साक्ष्य देने में सक्षम होता है जिससे अभियुक्त के अलावा किसी व्यक्ति के अपराध का कर्ता होने की संभावना असंभव हो जाती है, तब एक साथ अंतिम बार देखे गये की परिस्थिति का साक्ष्य, यद्यपि लंबी समयावधि है को इस प्रकार के अभियुक्त व्यक्तियों के विरूद्ध अपराध साबित करने के लिए परिस्थितियों की श्रंृखला में परिस्थितियों में से एक के रूप में माना जा सकता है। अतः यदि अभियोजन साबित करता है कि मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों के आलोक में, मध्यवर्ती अवधि में अपराध के करने के पहले या घटनास्थल पर मृतक के पहुँचने या किसी अन्य व्यक्ति से मिलने की संभावना नही थी, अंतिम बार एक साथ देखे गये का सबूत सुसंगत साक्ष्य होगा। उदाहरण के लिए, यदि यह प्रदर्शित करते हुए प्रमाणित किया जा सकता है कि अभियुक्तगण उस स्थान पर एक मात्र काबिज थे जहां घटना घटित हुई थी या जहाँ इन्हें अंतिम बार एक साथ मृतक के साथ देखा गया था तथा किसी अन्य पक्षकार द्वारा उस स्थान पर किसी घुसपैठ की संभावना नही थी तब अपेक्षाकृत लंबा समयान्तराल अभियोजन मामले को प्रभावित नही करेगा।

(बल दिया गया)

10.6.8 वर्तमान मामले में, जैसा ऊपर कहा गया है, अ0सा0-28, डा0 एस0वी0 हविनाल, चिकित्साधिकारी जिसने शव का मृत्योपरांत-परीक्षण किया था अपने प्रति-परीक्षा के दौरान कहा था कि यह कहना सही नही है कि व्यक्ति मृत्योपरांत परीक्षण के 5 दिन पहले मर सकता था। इसने कहा था कि वह मृत्योपरांत परीक्षण के 3 से 4 दिन पहले मर सकता था। इस प्रकार, अभियोजन मामला कि मृतक को इसका शव 13-07-2006 को पता चलने के पहले 10-07-2006 की रात की गोली से मारा गया था इस चिकित्सा साक्ष्य के

दृष्टिगत अंतिम बार देखे गये सिद्वांत के विरुद्ध प्रतिकूल होना प्रतीत नही होता है कि मृत्यु लगभग 3/4 दिन पहले हुई थी। इस प्रकार, यह नही कहा जा सकता है कि समयान्तराल पर्याप्त लंबी अवधि का है।

10.6.9 स्पष्ट निष्कर्ष जिसे प्रतिरक्षा निकालना चाहता है यह है कि यदि मृत्यु 5 दिन पहले हुई थी, यह 10-07-2006 के पहले होगा, जो अभियोजन मामले को समाप्त किया होता। इसी प्रकार, यदि मृत्यु मृत्योपरांत-परीक्षण किये जाने के लगभग 2 दिन पहले हुई थी, यह 10-07-2006 को मृतक के लापता होने के कुछ दिनों के बाद होगा जो समयान्तराल के कारण अभियोजन मामले पर वास्तविक संदेह डाला हुआ होता।

10.6.10 अपीलकर्ता से बंदूक, छर्रा तथा गद्दी एवं सोने की जंजीर जैसे अनय वस्तु के पश्चातवर्ती बरामदगी के साथ न्यायसंबंधी तथा प्राक्षेपिकी राय अक्षरशः संदेह के तत्व को मिटा देता है जिसे परिस्थितिजन्य साक्ष्य के पहलू के साथ अंतिम बार देखे गये के समयान्तराल तथा अन्तर को माना जा सकता है। यदि यह वैज्ञानिक साक्ष्य तथा पश्चातवर्ती बरामदगियाँ उपलब्ध न होती, तो निश्चित रूप से, एक साथ अंतिम बार देखे गये के तथ्य तथा मृत्यु के समय के बीच समय व्यतीत होने को वर्तमान मामले में अभियोजन मामले के लिए घातक साबित किया जा सकता था।

इस प्रकार, अपीलकर्ता का निवेदन कि लम्बा समय बीता था, तर्क संगत नही है।

10.6.11 यह उल्लेखनीय है कि स्थान जहाँ मृतक के शव का पता गन्ने के खेत में चला था सिवाय उन मजदूरों के जनसामान्य द्वारा देखा प्रतीत नही होता है जो खेत में काम करते हैं। वास्तव में, शव का पता विलम्ब से मात्र गन्ने के खेत के मालिक अ0सा0 1 अरूण कुमार मारूती मिनाचे के मजदूरों द्वारा चला था।

10.6.12 अ0सा0-1 ने अभिसाक्ष्य दिया था कि 13-07-2006 को इसके मजदूरगण अर्थात विस्मिल्ला, पोपट तथा प्रवीण गन्ने के फसल को नापने के लिए खेत में गये थे तथा उपर्युक्त दिन को लगभग 9:30 बजे पूर्वाह्न, विस्मिल्ला इसके घर आया तथा इसे बताया कि एक पुरुष का शव बेलांकी सरवू के निकट अर्थात खेत के दक्षिण तरफ पड़ा था।

इस प्रकार, स्थान के असली प्रकृति द्वारा तथा जमीन मालिक के परिसाक्ष्य से जैसा स्पष्ट है, यह पूर्णतया स्पष्ट है कि स्थान जहाँ शव को पाया गया था- पर बार-बार नही जाया जाता था इसी प्रकार शव का पता मात्र 13-07-2006 को लगा था यद्यपि मृत्यु अ0सा0-28, चिकित्साधिकारी जिसने मृत्योपरांत परीक्षण किया था के साक्ष्य के अनुसार लगभग 3 से 4 दिन पहले हुई थी। अतः गोली मारे जाने के पहले मृतक के अपीलकर्ता के अलावा मृतक के एक दूसरे व्यक्ति व्यक्ति के साथ होने की संभावना पूर्णतया दूर है।

10.7 यह उल्लेखनीय है कि यह मात्र 10-07-2006 को मृतक के अपीलकर्ता के साथ अंतिम बार देखे जाने के बाद 13-07-2006 को शव का प्रकटीकरण नही है जिस पर अभियोजन मामला आधारित है। यह अंतिम बार देखा गया सिद्वांत इस तथ्य द्वारा मजबूत होता है कि मृतक के मृत्यु का कारण बंदूक के गोली की क्षति थी तथा अपराध का हथियार अपीलकर्ता के बताने पर बरामद किया गया था तथा मृतक के झोपड़ी गुहिका में पाये गये छर्रा तथा गद्दी के रूप में न्याय संबंधी साक्ष्य नही है जिसे बरामद उक्त बंदूक से

दागा जा सकता है जो अपीलकर्ता को अपराध से जोड़ता है।

मेरी राय में बंदूक तथा खाली छर्रा के पश्चातवर्ती बरामदगी तथा मृतक के शरीर से बरामद छर्रा एवं बरामद बंदूक के बीच कड़ी के न्यायसंबंधी तथा प्राक्षेपिकी साक्ष्य में बीता समय जो अंतिम बार देखे गये सिद्धांत पर संदेह डाल सकता था महत्वहीन हो जाता है, बल्कि इसे महत्वपूर्ण बना दिया जाता है।

इस प्रकार, अभियोजन का मामला मात्र अटकल नही है, बल्कि उलटे प्रमाणित परिस्थितियों एवं तथ्यों पर आधारित है।

10.7.1 अ0सा0-28, चिकित्साधिकारी ने 13-07-2006 को 2:40 बजे अपराह्न शिरागुप्पी के कब्रिस्तान में मृत्योपरान्त परीक्षण किया था क्योंकि शव आरंभिक विघटित होने की अवस्था में था तथा निम्न बाहरी क्षतियों को पाया गया था:

(1) भित्तिकास्थि में स्तनाकार प्रवर्ध के 1.5 सेमी0, 3 सेमी0 ऊपर व्यास का वृत्ताकार घाव।

(2) वाये इन्फ्राआर्विटल क्षेत्र में अनियमित आकार का घाव मापन लगभग 2X3 सेमी0। वृत्ताकार घाव के लगभग गोली नही थी।

छर्रा को कपाल में छितरा पाया गया था। खोपड़ी गुहिका के अन्दर दो गद्दी भी पाई गई थी। छर्रा के क्षतियों के कारण खोपड़ी का कई अस्थि भंग तथा मस्तिष्क रक्त स्राव था। ये कई छर्रे तथा गद्दियाँ जो खोपड़ी गुहिका में पाये गये कारतूस का हिस्सा है, को बाद में फोरेंसिक परीक्षण हेतु भेजा गया था।

मृत्योपरांत परीक्षण के अनुसार, प्रवेश घाव झोपड़ी में था तथा निर्गम घाव बायें इन्फ्राआर्विटल क्षेत्र में था यह उल्लेखनीय है कि बायां इन्फ्राआर्विटल क्षेत्र बायें नेत्र कोटर के नीचे स्थित चेहरे का क्षेत्र है। यह इस तथ्य का निर्देशक है कि गोली सिर के पीछे से घुसी थी।

अ0सा0 28, चिकित्साधिकारी के अनुसार, मृत्यु का कारण महत्वपूर्ण अंग के क्षति के कारण था जिनके कारण तंत्रिका संबंधी प्रघात हुआ, जो प्रमुख कारण है तथा गौण कारण अंतरकपालीय रक्त स्राव के कारण हाइपोबोलेमिक प्रधात था।

फारेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला बंग्लौर से प्राक्षेपिकी रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् अ0सा0-28 ने अपनी अंतिम राय दिया था कि मृत्यु का कारण महत्वपूर्ण अंग की प्राक्षेपिकी क्षतियाँ है जिसके कारण तंत्रिका संबंधी तथा हाइयोबोलेमिक प्रघात हुआ था।

10.7.2 अब हम प्राक्षेपिकी विज्ञानी एन0जी0 प्रभाकर, अ0सा0-30 के साक्ष्य की जांच करेगे, जिन्होंने दो नली बंदूक की जांच किया था जिसे अपीलकर्ता के बताने पर तथा अन्य सामग्रियों अर्थात दो खर्च 12 बोर कारतूसों, दो प्लास्टिक गद्दी, परीक्षण हेतु इसे भेजे गये सीस छर्रा को बरामद किया गया था। दो जिन्दा 12 बोर कारतूस जिसे बंदूक के परीक्षण हेतु पुलिस द्वारा खरीदा गया था, को भी भेजा गया था।

10.7.3 इस सामानों को 19-09-2006 को एफएसएल, बंग्लौर द्वारा प्राप्त किया गया था तथा उपर्युक्त दिन को परीक्षण किया गया था तथा परीक्षा के बाद, अ0सा0-30 ने निम्न राय दिया था जिसे शब्दशः दोहराया जाता है:

(1) सामान सं0 1 में डी0बी0बी0एल0 बंदूक में दागे जाने का निशान है।

(2) सामान सं0 1 में डी0बी0बी0एल0 बंदूक परीक्षा के समय पर काम करने की स्थिति में था।

(3) सामान सं0 3 में कारतूस जिन्दा था तथा इसे सामान सं0 1 मे इसे डी0बी0बी0एल0 बंदूक के जरिए दागा जा सकता है।

(4) सामान सं0 1 में डी0बी0बी0एल0 बंदूक की प्रभावी दूरी लगभग 40 गज है।

(5) सामान सं0-2 में 2(क) तथा 2(ख) के रूप में अंकित कारतूस पेटी को सामान सं0 1 में डी0बी0बी0एल बंदूक के दायें तथा बायें नली से दागा गया है।

(6) सामान सं0 4 तथा 5 में गद्दी तथा शीश छर्रा 12 बोर कारतूसों का संघटक है तथा इसे सामान सं0 1 में डी0बी0बी0एल बंदूक से दागा जा सकता था।

उल्लेखनीय है कि सामान सं0 1 अपीलकर्ता के बताने पर बरामद डी0बी0बी0एल0 बंदूक थी, सामान सं0 2 में अपीलकर्ता कि बताने पर बरामद खर्च कारतूस था। सामान सं0 3 में दो जिन्दा कारतूस था जिसे बंदूक के परीक्षण हेतु पुलिस द्वारा खरीदा गया था।

उक्त प्राक्षेपिकी विज्ञानी की सघन प्रति-परीक्षा की गई थी। फिर भी, इसके साक्ष्य को इसके द्वारा दिये गये किन्हीं विचारों के संबंध में कमजोर नही किया जा सकता है।

10.7.4 हमारे सुविचारित राय में, प्राक्षेपिकी परीक्षण पर आधारित पूर्वोक्त न्याय संबंधी साक्ष्य न केवल मामले को समझने में निर्णायक तथा समालोचनात्मक है, बल्कि अपीलकर्ता के नियति पर मुहर लगाता है, जो इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि अपीलकर्ता के बताने पर बरामद बंदूक का उपयोग मृतक को गोली से क्षति कारित करने में किया गया था जिसक कारण इसकी मृत्यु हुई थी।

प्रतिरक्षा का मामला यह नही है कि इस प्रकार की बंदूक तुरन्त तथा सहज ही उपलब्ध है तथा किसी व्यक्ति तथा प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार का बंदूक रखने के लिए लाइसेन्स का होना आवश्यक होता है। यह चाकू जैसा अपराध का साधारण हथियार नही है जो तुरन्त उपलब्ध है जिसका उपयोग व्यक्ति के घातक तरीके से क्षति करने के लिए किया जा सकता है। वर्तमान मामले में अपराध का हथियार प्रत्यक्ष रूप से अपीलकर्ता के पास से खोज निकाला जाता है, जिसने इसे अपने पितामह से लिया था क्योंकि इसे पंच साक्षी, अ0सा0-6 द्वारा संपुष्ट अन्वेषक अधिकारी, अ0सा0-31 के साक्ष्य के अनुसार अपीलकर्ता के बताने पर बरामद किया गया था।

10.7.5 दोहरे नाल का बंदूक अपीलकर्ता के बताने पर बरामद किया गया था, जैसा अभिग्रहण साक्षीगण अर्थात, इस्माइल मोहम्मद डांगे (अ0सा0-6) तथा विलास मछेन्द्र डावरी (अ0सा0-07) द्वारा साक्षित किया गया था। फिर भी अ0सा0-7 पक्षद्रोही हो गया था तथा कहा था कि इसके उपस्थिति में अपीलकर्ता के बताने पर कुछ भी बरामद नही किया गया था। दूसरी तरफ, अ0सा0-6 अपने मुख्य-परीक्षा तथा प्रति-परीक्षा दोनों में संगत था कि अपीलकर्ता ने इसके उपस्थिति में अपने घर से बंदूक, एक जिन्दा कारतूस, दो खर्च कारतूसों को पेश किया था। हैण्डबैग, हीरो होण्डा मोटरसाइकिल जैसे अन्य सामानों को अ0सा0-6 के उपस्थिति में अपीलकर्ता द्वारा पेश किया गया था। यद्यपि अ0सा0-6 को

पक्षद्रोही घोषित किया गया था, क्योंकि इसने अभियोजन मामले का पूर्णतया समर्थन नही किया था, अंत में, जहाँ तक पूर्वोक्त सामानों के बरामदगी का संबंध है, वह अपने आधार पर डटा था तथा वह अपने प्रति-परीक्षा में भी संगत था। उक्त साक्षी ने साक्ष्य दिया था कि अपीलकर्ता पुलिस तथा अन्य साक्षीगण को घटनास्थल पर ले गया था जहाँ से अपीलकर्ता ने बंदूक से गोली चलाया था। इस प्रकार, अपीलकर्ता के बताने पर बंदूक एवं कारतूसों की बरामदगी साबित होती है।

यह भी अवेक्षित है कि प्रक्षेपिकी विज्ञानी ने, अपीलकर्ता के बताने पर बंदूक के साथ बरामद दो खर्च कारतूसों के परीक्षा पर अपनी राय दिया था कि इसे बंदूक से दागा गया था।

10.7.6 दोहरे नाल का बंदूक, एक जिन्दा तथा दो खर्च कारतूसों एवं हैण्डबैग को अपीलकर्ता के बताने पर अपीलकर्ता के पितामह के घर से बरामद किया गया था जहाँ अपीलकर्ता रहता था। अतः बरामद सामग्रियाँ या 'तथ्य' साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के व्याप्ति में आयेगा। चूँकि इन सामग्रियों का प्रकटीकरण साबित होता है, अपीलकर्ता द्वारा सामानों, और विशेष रूप से बंदूक तथा खर्च कारतूसों के प्रकटीकरण तथा विशेषताओं को बताना आवश्यक था। चूँकि यह अपीलकर्ता के विशेष जानकारी में था कि कैसे इन खर्च कारतूसों को घर में रखा गया था तथा कैसे बरामद होने के पहले दागने हेतु बंदूक का प्रयोग किया गया था, अपीलकर्ता इसका स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य है। भले ही अपीलकर्ता ने इसे स्पष्ट नही किया था, कम से कम इसका पितामह, अ0सा0-20 जो बंदूक का मालिक था इसे बताने के लिए बाध्य था क्योंकि वह अपीलकर्ता के साथ रह रहा था तथा वह बंदूक का असली मालिक था। अपीलकर्ता या इसके पितामह द्वारा इस प्रकार का कोई स्पष्टीकरण नही दिया गया था, कि कैसे खर्च कारतूसों को पाया गया था तथा कैसे बंदूक का उपयोग दागने के लिए किया गया था। पितामह, अ0सा0-20 ने मात्र यह कहाँ था कि अपीलकर्ता 10-07-2006 को बंदूक नही ले गया था तथा इसका प्रयोग नही किया था। अपने पोते की रक्षा करना पितामह की ओर से स्वाभाविक था, लेकिन इससे बंदूक के उपयोग तथा खर्च कारतूसों के बरामदगी के बारे में जानने की आशा की जाती है। इस प्रकार, बंदूक के बरामदगी तथा इसके दागे जाने तथा खर्च कारतूस के बरामदगी को स्पष्ट करने की विफलता निश्चित रूप से अपीलकर्ता को आलिप्त करता है, विशेष रूप से तब जब प्राक्षेपिकी विज्ञानी ने अपनी राय दिया था कि मस्तिष्क के खोपड़ी से बरामद शीश छर्रा तथा गद्दी का प्रयोग पूर्वोक्त बंदूक से किया जा सकता है तथा बंदूक से दागे जाने का संकेत प्रदर्शित हुआ था।

जैसा **मुकेश तथा एक अन्य बनाम दिल्ली रा0रा0क्षे0 तथा अन्य (2017) 6 एससीसी 1** में इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, जब बरामदगियाँ साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन की जाती है, अभियुक्त को यह स्पष्ट करना चाहिए कि कैसे इसके कब्जे में फंसाने वाले सामान आए थे।

10.7.7 स्पष्ट वैज्ञानिक साक्ष्य कि मृतक के खोपड़ी गुहिका में पाये गये छर्रा तथा गद्दी को अपीलकर्ता के बताने पर बरामद पूर्वोक्त बंदूक से दागा जा सकता है तथा बंदूक में दागे

जाने का संकेत है तथा काम करने की स्थिति में था स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता को अपराध से जोड़ता है।

10.7.8 यद्यपि अपीलकर्ता ने मामला बनाने का प्रयास किया था कि किसी व्यक्ति ने अपीलकर्ता को बंदूक ले जाते नही देखा था, हमारी राय में, उक्त तर्क फारेंसिक विशेषज्ञ के साक्ष्य के दृष्टिगत गुणावगुण रहित था जिसने बंदूक का परीक्षण किया था जिसने स्पष्ट रूप से कहा था कि बंदूक का विखण्डन किया जा सकता है। अ0सा0-5 अशोक राम जमादार का साक्ष्य है, जिसने शिरागुप्पी की ओर मोटर साइकिल पर जाते हुए 10-07-2006 की रात में मृतक के साथ अपीलकर्ता के देखने का परिसाक्ष्य दिया था कि मृतक बैग लिए था। यदि दोहरे नाल के बंदूक को विखण्डित किया जा सकता है, इसे निश्चित रूप से बैग में रखा जा सकता है। अतः, मात्र इसलिए क्योंकि अपीलकर्ता द्वारा ले जाते हुए बंदूक को देखने वाले किसी साक्षी का कोई साक्ष्य नही है, यह अभियोजन मामले के लिए घातक नही हो सकता हैं

10.7.9 एक बार वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर सामने यह आया है कि बंदूक जिसे अपीलकर्ता के बताने पर बरामद किया गया था काम करने की स्थिति में था, यह कि इसके द्वारा दागे जाने का संकेत प्रदर्शित किया गया था तथा मृतक के खोपड़ी गुहिका में पाये गये छर्रा तथा गद्दी को उक्त बंदूक से दागा जा सकता था, अपीलकर्ता द्वारा या बंदूक के मालिक अपीलकर्ता के पितामह द्वारा किसी स्पष्टीकरण के अभाव में, एक मात्र तार्किक निष्कर्ष जिसे परिस्थितियों में निकाला जा सकता है यह है कि अपीलकर्ता ने ही मृतक को गोली से क्षति कारित करते हुए उक्त बंदूक का प्रयोग किया था जिसके कारण इसकी मृत्यु हुई थी।

10.8 परिस्थितियों में, चूँकि यह साबित किया गया है कि अपीलकर्ता को अंतिम बार मृतक के साथ बैग लेकर मोटर साइकिल पर जाते देख गया था तथा यह भी साक्ष्य है कि कुछ आर्थिक लेन देन के बारे में इनक बीच बहस तथा एक साथ इनके जाने के पहले शिकार करने हेतु जाने के बारे में चर्चा हुई थी, मेरी राय में, इस बात पर कोई संदेह नही हो सकता है कि अपीलकर्ता दोहरे नाल के बंदूक के प्रयोग द्वारा मृतक की मृत्यु कारित करने हेतु उत्तरदायी है।

10.9 विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट निष्कर्ष है कि अपीलकर्ता 11-07-2006 से पुलिस द्वारा 22-07-2006 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने तक प्रपलायन में था।

10.9.1 यह अभिलेख पर है कि अपीलकर्ता तथा मृतक मित्र थे। ये लोग अजनवी नही थे। इस प्रकार मृतक के पिता से लगातार पूछतांछ के बावजूद अपने मित्र के परिवार के साथ सहयोग तथा सहायता के बजाय अपीलकर्ता द्वारा फरार होने का यह कार्य इसके अपराध का स्पष्ट संकेत है।

अन्वेषक अधिकारी, अ0सा0-31 ने कहा था कि साक्षीगण जिन्होंने मृतक तथा अपीलकर्ता को एक साथ अंतिम बार 10-7-2006 को देखा था के कथनों को अभिलिखित किये जाने के पश्चात, पुलिस ने मिराज, सांगली, हिरुयुरु, बंगलौर के विभिन्न स्थानों पर जाने वाले अपीलकर्ता की तलाश किया था, लेकिन अपीलकर्ता

का पता नही चल सका था। 22-07-2006 को 6.00 बजे प्रातः, अ0सा0-31 द्वारा इस आशय का गुमनाम फोन काल प्राप्त होने के बाद कि अपीलकर्ता मिराज का चुका है, इसे वहाँ गिरफ्तार किया गया था तथा पुलिस थाना लाया गया था।

10.9.2 यह घिसा पिटा है कि स्वयं द्वारा मात्र फरार होना अपराधी मन को गठित नही करता है क्योंकि निर्दोष व्यक्ति भी आतंकित महसूस कर सकता है तथा पुलिस से बचने की तलाश कर सकता है जब गलत तरीके से आत्म-रक्षा के मूल प्रवृत्ति के रूप में संलिप्त किये जाने के बारे में संदिग्ध होता है। लेकिन प्रपलायन का कार्य अन्य साक्ष्य के साथ विचार किये जाने वाले निश्चित रूप से साक्ष्य का सुसंगत भाग होता है तथा साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत एक आचरण है, जो इसके अपराधी मन की ओर संकेत करता है। आशंका की सुई कार्य द्वारा मजबूत होती है। (देखिए: **मन्नू उर्फ गिरीश चन्द्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1971) 2 एससीसी 75**)

10.9.3 यह भी अभिलेख पर है कि अपीलकर्ता मात्र छिपने की जगह में नही था बल्कि अपने संबंधियों तथा मृतक के परिवारों तथा इसके मित्रों को अपने पता ठिकाना के बारे में गुमराह किया था।

यह साक्ष्य में है कि जब अ0सा0-2, मृतक के पिता ने 10-07-2006 की रात को अपीलकर्ता के घर पर फोन किया था, इसे बताया गया था कि अपीलकर्ता घर पर नही है। अ0सा0-2 पुनः मृतक के बारे में पूछतांछ करने के लिए 11-07-2006 के प्रातःकाल अपीलकर्ता के घर गया था। अपीलकर्ता ने अ0सा0-2 को बताया था कि इसने मृतक को पूर्ववर्ती सायंकाल बस स्टैण्ड के निकट स्थित वाटर टैंक के निकट मृतक को छोड़ दिया था तथा इसे मालूम नही है कि कहाँ मृतक गया था। आगे, जब अ0सा0-2 पुनः अपने लापता पुत्र के पता ठिकाना के बारे में पूछतांछ करने के लिए अगले दिन 12-07-2006 को अपीलकर्ता के घर गया था, अपीलकर्ता को घर में नही पाया गया था। फिर भी अ0सा0-2 अपने चाचा अर्थात धनंजय चवन से मिला था जिसने अ0सा0-2 को बताया था कि अपीलकर्ता नौकरी की तलाश में पूणे गया था तथा उक्त धनंजय चवन ने अपीलकर्ता के मित्र देवराज सूतर (अ0सा0-14) को मोबाइल नम्बर दिया था जिसे पूणे में ठहरा बताया गया था। जब मृतक के पिता ने उक्त देवराज सूतर (अ0सा0-14) से इसके मोबाइल नम्बर पर संपर्क किया था तथा अपीलकर्ता के बारे में पूछतांछ किया था, उक्त देवराज सूतर (अ0सा0-14) ने मृतक के पिता को बताया था कि अपीलकर्ता इससे मिलने नही आया था। बाद में जब मृतक के पिता ने पुनः देवराज सूतर (अ0सा0-14) को फोन किया था, इसने अ0सा0-2 को बताया था कि वह (अ0सा0-14) पूणे में नही है बल्कि अहमदनगर में है। तत्पश्चात् मृतक के पिता अ0सा0-2 का आमना सामना देवराज सूतर से कराया गया था कि क्यों वह झूठ बोल रहा है, देवराज सूतर ने इससे कहा कि अपीलकर्ता ने इसे ऐसा करने के लिए कहा था। तत्पश्चात् मृतक के पिता ने गुमशुदगी रिपोर्ट दाखिल किया था।

हमने अ0सा0-2 द्वारा दाखिल गुमशुदगी रिपोर्ट का परिशीलन भी किया है। अपीलकर्ता के कार्यों के बारे में गुमशुदगी रिपोर्ट में घटनाओं का विवरण गुमराह करने वाला तथा तत्वतः बचाव है जो उस बात की संपुष्टि करता है जिसे अ0सा0-2 ने विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता के बारे में अभिसाक्ष्य दिया था, इस प्रकार न्यायालय के समक्ष इसके परिसाक्ष्य को विश्वसनीयता प्रदान करता है।

10.9.4 जब हम समालोचनात्मक रूप से देवराज सूतर (अ0सा0-14) के साक्ष्य की जांच करते हैं, हम पाते हैं कि वह अ0सा0-2, मृतक के पिता के परिसाक्ष्य की संपुष्टि करता है।

अ0सा0-14 ने साक्ष्य दिया था कि वह अपीलकर्ता का सहपाठी तथा मित्र था तथा इसे जानता था।

अ0सा0-14 ने कहा था कि 11-07-2006 को इसे लगभग 9.00 बजे रात में अपीलकर्ता से फोनकाल प्राप्त हुआ था तथा अपीलकर्ता ने इससे अपने चाचा से बताने के लिए कहा था यदि वह इससे फोन पर संपर्क करता है कि वह (अ0सा0-14) पूणे में है, यद्यपि अ0सा0-14 अहमदनगर में था। अ0सा0-14 ने यह भी कहा था कि अपीलकर्ता डरा हुआ दिखाई पड़ता था तथा इससे झूठ बोलने के लिए कहा था तथा तत्पश्चात फोन को काट दिया था। अ0सा0-14 ने आगे साक्ष्य दिया था कि अगले दिन 12-07-2006 को इसने अपीलकर्ता के चाचा से फोन काल प्राप्त किया था जिसने अपीलकर्ता के बारे में पूछतांछ किया था, जिसके बारे में अ0सा0-14 ने इससे कहा थाकि अपीलकर्ता नही आया था। अपीलकर्ता के चाचा से प्राप्त दूसरे फोन काल पर, अ0सा0-14 ने यह कहते हुए वास्तविक तथ्यों को बताया था कि वह वास्तव में अहमदनगर में था न कि पूणे में तथा अपीलकर्ता इसके पास नही आया था। इसने कहा था कि तत्पश्चात्, इससे पुलिस द्वारा फोन पर संपर्क किया गया था जिसने इससे मिराज पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा था जहाँ वह गया तथा अपना कथन दिया था। इसने यह भी कहा था कि इसके कथन के अभिलिखित किये जाने के 3-4 दिनों के बाद, पुलिस ने पुनः इससे कागावाड़ पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करने के लिए कहा था जहाँ इसे बताया गया था कि विक्रम शिन्दे की हत्या की गई है।

10.9.5 हमारी राय में, अ0सा0-14 का साक्ष्य न केवल अत्यधिक सुसंगत है बल्कि अभियोजन के मामले का समर्थन करने के लिए समालोचनात्मक है कि अपीलकर्ता छिपे स्थान में था तथा अपने पता ठिकाना के बारे में अन्य को गुमराह कर रहा था एवं वह 11-07-2006 से 22-07-2006 तक प्रपलायन में था।

इसका परिसाक्ष्य भी सत्य प्रतीत होता है।

यह उल्लेखनीय है कि अ0सा0-14 ने विशेष रूप से अभिसाक्ष्य दिया था कि वह अपीलकर्ता का मित्र था तथा वह मृतक को नही जानता था। अ0सा0-14 ने कहा था कि वह अपीलकर्ता का सहपाठी नही था तथा इसने अपीलकर्ता के साथ डिप्लोमा पाठयक्रम आरम्भ किया था।

इसे विक्रम शिन्दे के लापता तथा विक्रम शिन्दे के बाद में पता लगने के बारे मे कोई अनुमान नही था। अ0सा-14 को विक्रम शिन्दे के हत्या के बारे में तभी जानकारी मिली जब इसे मिराज पुलिस स्टेशन में इसके कथन के अभिलिखित किये जाने के लगभग एक सप्ताह बाद कागावाड़ पुलिस थाना में बुलाया गया था। अतः, इसके साक्ष्य के विश्वसनीयता पर संदेह करने का कोई कारण नही है। बल्कि, इसके अपीलकर्ता का मित्र होने के नाते, यह आश्चर्यजनक न हुआ होता यदि वह पक्षद्रोही हो गया होता जैसे संदीप संडालगे (अ0सा0-18) जैसे कुछ अभियोजन साक्षीगण के मामले में है। अभियोजन के अनुसार, अपीलकर्ता ने अभिकथित रूप से संदीप संडालगे (अ0सा0-18) के उपस्थिति में न्यायिकेतर संस्वीकृति किया था जो अपीलकर्ता का मित्र था, लेकिन अ0सा0-18 पक्षद्रोही हो गया था तथा अपने पहले के कथन से मुकर गया था। अतः, हमने अपने विचार में इसके साक्ष्य को ध्यान में नही रखा है। फिर भी, देवराज सूतर (अ0सा0-14) अपीलकर्ता का मित्र होने के बावजूद पक्षद्रोही नही हुआ था बल्कि अभियोजन मामले का समर्थन किया था। इस प्रकार, अ0सा0-14 देवराज सूतर के साक्ष्य के विश्वसनीयता के बारे में कोई संदेह नही हो सकता है।

10.10 जहाँ तक अपीलकर्ता के कब्जे से सोने के जंजीर के बरामदगी का संबंध है, इसे अन्वेषक अधिकारी, अ0सा0-31 तथा अभिग्रहण साक्षी, इस्माइल मोहम्मद डांगे, अ0सा0-6 के साक्ष्य के अनुसार साबित किया गया है। अ0सा0-6 ने कहा था कि 22-07-2006 को जब इसे पुलिस स्टेशन बुलाया गया था, अपीलकर्ता ने सोने की जंजीर पेश किया था तथा उस समय पर, सोनार (अ0सा0-13) भी मौजूद था जिसने इसकी जांच किया था तथा मापा था। उक्त अ0सा0-13 भी अ0सा0-6 के परिसाक्ष्य की संपुष्टि करता है यद्यपि अन्य पंच साक्षी, अ0सा0-7 विलास मछेन्द्र डावरी इसका समर्थन नही करता है।

मोबाइल फोन के अभिग्रहण के संबंध में, दुकानदार, शिव कुमार, अ0सा0-25 ने अपीलकर्ता से इसे खरीदा होने से इंकार किया था, यद्यपि ड्राइविंग लाइसेन्स विशिष्टयों तथा दुकान के मुद्रा तथा दुकान मालिक के हस्ताक्षर के साथ अपीलकर्ता के फोटोग्राफ के पेपर के बरामदगी के बारे में कोई स्पष्टीकरण नही था। फिर भी, हम अपीलकर्ता से मोबाइल फोन के बरामदगी के सबूत के संबंध में संदेह का लाभ देते हैं, फिर भी तथ्य यह है कि उक्त साक्षी अ0सा0-25 ने स्वीकार किया था कि उक्त दस्तावेज पर हस्ताक्षर इसका था तथा मुद्रा इसके दुकान की है, जो उक्त दुकानदार, अ0सा0-25 के साथ अपीलकर्ता के निर्विवाद संबंध का संकेत देता है।

बहरहाल, मेरी राय में, इसका अपीलकर्ता के बताने पर बंदूक, कारतूस, मोटर साइकिल, बैग तथा सोने की जंजीर के बरामदगी के दृष्टिगत मामले से अधिक संबंध नही हो सकता है, जो स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता की ओर सदोषता के बारे में संकेत करता है।

10.11 यह हमें हेतु के अन्य प्रतिविरोधात्मक विवाद्यक की ओर ले जाता है जिसने अपीलकर्ता को अपराध करने के लिए प्रेरित किया था। अभियोजन के अनुसार, अपीलकर्ता ने

अग्न्यायुध का प्रयोग करते हुए मृतक की हत्या किया था क्योंकि वह मृतक द्वारा इससे लिये गये ऋण के प्रतिसंदाय न किये जाने से परेशान था।

10.11.1 अभियोजन मामला यह है कि अपीलकर्ता ने रवीन्द्र एस0 चवन, अ0सा0-19 से एक निश्चित धनराशि मृतक को उधार देने के लिए लिया था। फिर भी, रवीन्द्र चवन ने अपीलकर्ता को कोई धनराशि दिये जाने का खण्डन किया था। उपरोक्त साक्ष्य के दृष्टिगत, विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आर्थिक लेनदेन को साबित नही कहा जा सकता है। दूसरी तरफ, उच्च न्यायालय ने अन्य साक्ष्य के आधार पर इसे साबित अभिनिर्धारित किया था।

इस संबंध में, हम अन्य साक्षी, अर्थात, अशोक कुमार शिन्दे (अ0सा0-4) आटो रिक्शा ड्राइवर के साक्ष्य की छानबीन कर सकते हैं जिसने निश्चित आर्थिक मामले के संबंध में अपीलकर्ता तथा मृतक के बीच अभिकथित रूप से वाद विवाद सुना था। भले ही आर्थिक लेनदेन के सटीक धनराशि का अभिनिश्चिय नही किया जा सकता है जैसा विचारण न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, यह अभिलेख पर है कि धन के संबंध में इनके बीच वाद विवाद हुआ था तथा अपीलकर्ता को मृतक द्वारा अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया था जिसे अ0सा0-4 द्वारा सुना गया था। बातचीत से प्रदर्शित होता है कि निश्चित आर्थिक विवाद के कारण मृतक के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा मनमुटाव का तत्व था जो अपराध के पीछे हेतु को गठित किया था।

10.11.2 भले ही यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि अपीलकर्ता तथा मृतक के बीच इस प्रकार का कोई आर्थिक लेनदेन नही था, यह अभियोजन मामले को तात्विक रूप से प्रभावित नही कर सकता है। जैसा भलीभांति ज्ञात है कि, हेतु ऐसी चीज है जिसे साबित करना काफी कठिन होता है क्योंकि यह संबंधित व्यक्ति के मस्तिष्क के गहरे विश्रांति में छिपा होता है तथा स्वयं संबंधित व्यक्ति द्वारा किसी खुले घोषणा के अभाव में, हेतु का निष्कर्ष व्यक्ति के क्रियाकलापों तथा आचरण से निकाला जाना चाहिए। अशोक आर शिन्दे (अ0सा0-4) के साक्ष्य से, यह कहा जा सकता है कि अपीलकर्ता तथा मृतक के बीच कतिपय वाद विवाद हुआ था तथा मृतक द्वारा अपीलकर्ता को अपमान जनक शब्दों का प्रयोग करते हुए सुना गया था। यह उल्लेखनीय है कि अ0सा0-4 अपीलकर्ता तथा मृतक दोनों को जानता है तथा इसका मृतक तथा अपीलकर्ता दोनों के परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा संबंध था तथा इस प्रकार यह अत्यधिक असंभव होगा कि यह साक्षी अपीलकर्ता का पक्षपोषण करते हुए तथा मृतक के विरुद्ध मिथ्या कथन देगा। इसके प्रति-परीक्षा के दौरान इसके अपीलकर्ता का विरोधी होने के बारे में कुछ भी सुझाव नही दिया गया था।

10.11.3 विधि अब सुस्थापित है कि जबकि हेतु का सबूत निश्चित रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित अभियोजन मामले को सुदृढ़ करता है, इसे साबित करने की विफलता घातक नही हो सकती है। इस संबंध में, **जी0 पार्श्वनाथ बनाम कर्नाटक**

राज्य 2010 (8) एससीसी 593 को निर्दिष्ट किया जा सकता है जिसमें यह निम्नवत् अभिनिर्धारित किया गया था:

''45. तर्क कि मृतक की हत्या करने के अपीलकर्ता की ओर से हेतु के अभाव में युक्तियुक्त संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए, स्वीकार नही किया जा सकता है। सर्वप्रथम प्रत्येक आशंका संदेह नही होता है। मात्र युक्तियुक्त, सन्देह अभियुक्त को लाभ देता है तथा न कि ढुलमुल जज के संदेह का। प्रायः अधिक मात्रा में संभावना का संकेत देने के लिए हेतु अभिकथित होता है कि अपराध उस व्यक्ति द्वारा किया गया था जिसे हेतु द्वारा प्रेरित किया गया था। ऐसे मामले में जब अभियुक्त के विरुद्ध अभिकथित हेतु को पूर्णतया प्रमाणित किया जाता है, यह परिस्थितियों के श्रृंखला को जोड़ने के लिए बुनियादी सामग्री उपलब्ध कराता है। मामले में इस परिप्रेक्ष्य में तथा संपुष्टि के संतोषजनक परिस्थिति के रूप में साक्ष्य की छानबीन करने के निर्देशक पर मूल सिद्धांत काम करता है। फिर भी, परिस्थितिजन्य साक्ष्य जहाँ साबित परिस्थितियाँ साक्ष्य के श्रृंखला को पूरा करता है पर आधारित मामले में, यह नही कहा जा सकता है कि हेतु के अभाव में, अन्य साबित परिस्थितियाँ निरर्थक होती है। हेतु का अभाव, फिर भी, यह सुनिश्चित करने के लिए और सावधानीपूर्वक परिस्थितियों की छानबीन करने के लिए न्यायालय को चैकस करता है कि आशंका तथा अटकलवाजी विधिक सबूत का स्थान नही लेता है। विधि की कोई पूर्ण विधिक प्रतिपादना नही है कि किसी हेतु के अभाव में अभियुक्त को धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन दोषसिद्ध नही किया जा सकता है। हेतु के अभाव का परिणाम प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर होगा। इसलिए, यह न्यायालय हेतु के प्रश्न की जांच करना चाहता है जिसने अपीलकर्ता को प्रश्नगत अपराध करने के लिए तत्पर नही किया था।''

10.12 वर्तमान मामला स्पष्ट रूप से ऐसा मामला है जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। अपने असली प्रकृति द्वारा, परिस्थितिजन्य साक्ष्य जो प्रत्यक्ष साक्ष्य के विरुद्ध होता है, निष्कर्ष है जिसे कतिपय प्रमाणित तथ्य/परिस्थिति पर आधारित तथ्य के होने से निकाला जाता है। इस प्रक्रिया में निरन्तर अन्तर्दर्शी तर्क, मानव व्यवहार की समुचित समझ तथा मनोविज्ञान अन्तवलित होता है। इस तर्क को तार्किक, प्रमाणक होना चाहिए तथा जो स्वाभाविक मानव व्यवहार के अनुसार होता है। फिर भी, हमेशा कतिपय व्यक्तिपरक तत्व होगा, जो फिर भी, अटकल या अनुमान के प्रकृति में नही हो सकता है। निष्कर्ष पूर्ण निश्चितता की ओर नही ले जा सकता है क्योंकि हम मानव व्यवहार पर विचार कर रहे हैं तथा पश्चदृष्टि में विगत घटना का पुनः कल्पन कर रहे है। स्वाभाविक रूप से, जब इससे कतिपय निष्कर्षों को निकालने के लिए साबित परिस्थितियों का मूल्यांकन किया जा रहा हो, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के इस सिद्धांत हेतु अधिक तकनीकी, पण्डिताऊ हुए बिना या पूर्ण सबूत की तलाश किये बिना, एक तार्किक, युक्तिमूलक तथा प्रयोगात्मक दृष्टिकोण को ग्रहण करना चाहिए, कानूनी प्रावधान पर आधारित नही है।

इस प्रकार, सजीव मानव अनुभवों तथा मानव व्यवहार पर आधारित, यदि तथ्य की कोई कल्पना स्पष्ट रूप से प्रमाणित तथ्य से अनुमेय होता है, तथ्य के निष्कर्ष निकाले गये दृष्टिकोण को सही के रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए। विधि यह अपेक्षा नही करता है कि तथ्य को सभी संदेहों से रहित आत्यंतिक निबंधनों पर साबित किया जाना आवश्यक होता है। विधि यह अनुध्यात करता है कि विचार किये जाने वाले तथ्य को साबित करने के लिए, इसे सभी युक्तियुक्त संदेह को समाप्त करना चाहिए। युक्तियुक्त संदेह का मतलब कोई तुच्छ, काल्पिनक या अवास्तविक नही होता है, बल्कि मामले में साक्ष्य से निकलने वाले विवेक तथा सामान्य बोध पर आधारित संदेह होता है। तथ्य को साबित माना जाता है यदि न्यायालय, साक्ष्य का पुनर्विलोकन करने के पश्चात या तो इसके विद्यमान होने का विश्वास करता है या इसका अस्तित्व पर्याप्त संभाव्य समझता है कि प्रज्ञावान व्यक्ति इस धारणा पर कार्य करेगा कि यह विद्यमान है।

10.12.1 यह भी तय है कि जहाँ साक्ष्य प्रकृति में परिस्थितिजन्य होता है, परिस्थितियाँ जिससे अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, पूर्णतया प्रमाणित किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक परिस्थितियाँ जिससे कतिपय निष्कर्षों को निकाला जाना ईप्सित है, विधि के अनुसार साबित किया जाना आवश्यक होता है तथा अनुमान या अटकल का कोई तत्व नही हो सकता है एवं इस प्रकार साबित प्रत्येक परिस्थितियों को अभियुक्त व्यक्ति के अपराध की ओर स्पष्ट रूप से इशारा करने के लिए किसी अन्तराल के बिना पूर्ण श्रृंखला बनानी चाहिए। न्यायालय को इन परिस्थितियों के होने के संचयी प्रभाव की जांच करनी पड़ती है, जो अभियुक्त के अपराध की ओर संकेत करेगा, यद्यपि कोई एक परिस्थिति स्वयं में अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त नही हो सकता है। इस प्रकार, यदि इन सभी परिस्थितियों का संयुक्त प्रभाव, जिसमें से प्रत्येक को स्वतंत्रतापूर्वक साबित किया गया है, अभियुक्त के अपराध को प्रमाणित करता है, तब इस प्रकार के परिस्थितियों पर आधारित दोषसिद्धि कायम रह सकती है। इस प्रकार साबित इन परिस्थितियों को केवल अभियुक्त के अपराध के परिकल्पना से संगत होना चाहिए तथा साबित किये जाने के लिए ईप्सित के सिवाय प्रत्येक परिकल्पना का अपवर्जन होना चाहिए।

इस प्रकार, यदि संचयी परिणाम के रूप में स्वाभाविक तथा सामाजिक रूप से मान्य मानव व्यवहार से संगत साबित परिस्थितियों के सेट के मूल्यांकन के पश्चात्, एक स्पष्ट तथा निर्णायक पैटर्न उभरता है जो अप्रतिरोध्य रूप से अभियुक्त व्यक्ति के संदोषता की ओर संकेत करता है, हम कोई कारण नही देखते हैं कि क्यों हमे अभियुक्त पर आपराधिक दायित्व जकड़ने के लिए इस प्रकार के निष्कर्ष निकाले गये निष्कर्ष को सही स्वीकार नही किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ, यदि इस प्रकार का निष्कर्ष किसी संदेह के आधार पर अभ्याक्रमण किया जाना ईप्सित है, संदेह को मामले के परिस्थितियों में मानव व्यवहार के साथ संगत युक्तियुक्त होना चाहिए न कि काल्पनिक, सामान्य अनुमान या कल्पना।

10.12.2 पूर्वोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, यदि हम इन सभी परिस्थितियों पर विचार करते हैं, जिसें सभी को, हमारी राय में वर्तमान मामले में साबित किया गया है, इनका संचयी प्रभाव स्पष्ट रूप से यह प्रमाणित करेगा कि अपीलकर्ता के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति अग्न्यायुध का प्रयोग करते हुए मृतक को घातक क्षति कारित कर सकता था।

चूँकि कहावत प्रचलित है कि व्यक्ति झूठ बोल सकता है, परिस्थितियाँ झूठ नही बोलती है।

10.13 जैसा ऊपर चर्चा की गई है, अकाट्य तथा विश्वसनीय साक्ष्य से यह साबित किया गया है कि अपीलकर्ता को अंतिम बार मृतक के साथ 10-07-2006 को देखा गया था तथा यद्यपि मृतक के शव का पता 13-07-2006 को लगा था, मृत्यु लगभग उसी समय हुई थी जब मृतक लापता था तथा इस मध्यवर्ती अवधि के दौरान, मृतक के पता ठिकाने का अभिनिश्चय नही किया जा सका था। दूसरी तरफ, अपीलकर्ता छिप रहा था तथा अपने पता ठिकाना के बारे में अपने नातेदारों तथा मित्रों को गुमराह कर रहा था जिसके लिए विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने ठीक ही इसके दूषित मन का निष्कर्ष निकाला था।

10.13.1 अन्य फंसाने वाली परिस्थिति मृतक के मस्तिष्क तथा खोपड़ी से छर्रा एवं गद्दी की बरामदगी है। मृत्योपरांत-परीक्षण रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि मृतक गोली की क्षति से मरा था। निर्गम घाव बायें नेत्र कोटर के नीचे था, जिससे प्रदर्शित होता है कि पीड़ित पर पीछे से गोली चलाई गई थी। फोरेंसिक विशेषज्ञ के अनुसार, अपीलकर्ता के सिर पर क्षति का आकार उस क्षति की पुष्टि करता है जिसे दोहरे नाल के बंदूक से गोली चलाकर कारित किया जा सकता है। फिर भी, सर्वाधिक तथा अति महत्वपूर्ण मृतक के खोपड़ी के अन्दर मस्तिष्क से छर्रा तथा गद्दी की बरामदगी तथा प्राक्षेपिकी विशेषज्ञ की यह राय है कि इन छर्रा तथा गद्दियों को दोहरे नाल के बंदूक से दागा जा सकता है जिसे अपीलकर्ता के बताने पर बरामद किया गया था जो अपीलकर्ता के पितामह का है। प्राक्षेपिकी विशेषज्ञ ने अपनी राय यह भी दिया था कि बंदूक के दागे जाने का साक्ष्य है तथा बंदूक काम कर रहा था।

10.13.2 आगे, प्राक्षेपिकी विशेषज्ञ के अनुसार, अपीलकर्ता के बताने पर बरामद खर्च दो 12 बोर डी0बी0बी0एल कारतूसों को उपर्युक्त बंदूक से दागा गया था तथा यह कि शव से बरामद छर्रे तथा गद्दियाँ 12 बोर कारतूसों के हिस्सा थे।

10.14 चूँकि बंदूक नया खाली छर्रो को अपीलकर्ता/इसके पितामह ने घर से बरामद किया गया था, फँसाने वाला साक्ष्य स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता के संलिप्तता का संकेत देता है। चूँकि अपीलकर्ता की पहुँच उक्त बंदूक तक थी तथा चूंकि इसे इसके बताने पर बरामद किया गया था, उन परिस्थितियों को स्पष्ट करना इस पर था जिसमें बंदूक से दागे जाने का संकेत मिलता है तथा कैसे खाली छर्रो को बरामद किया गया था जैसा भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी धारा 106 के अन्तर्गत अपेक्षित है जो उपबंध करता है कि जब कोई तथ्य विशेषतः किसी व्यक्ति के ज्ञान में है, तब उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर

है। चूँकि प्राक्षेपिकी साक्ष्य था कि मृतक के खोपड़ी के गुहिका से बरामद छर्रो तथा गद्दियों से कड़ी प्रदर्शित होता है, अपीलकर्ता परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए बाध्य था। भले ही अपीलकर्ता दावा कर सकता है कि वह बंदूक का स्वामी नही था, इसका पितामह इस दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए कर्तव्यबद्ध था।

फारेंसिक विशेषज्ञ तथा प्राक्षेपिकी विशेषज्ञ सहित सभी अभियोजन साक्षीगण की गहन प्रति-परीक्षा इनके विश्वसनीयता को कमजोर करने के प्रयास से की गई थी, फिर भी, अपीलकर्ता ने अपराध में किसी भूमिका से इंकार करने के सिवाय किसी साक्ष्य को पेश नही किया है।

10.14.1 मामले से अपीलकर्ता का संबंध गहरा है क्योंकि कई फारेंसिक तथा प्राक्षेपिकी विश्लेषणों को प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन साक्षीगण के संपोषक परिसाक्ष्यों सहित हथियार तथा समर्थक साक्ष्य की बरामदगी अकाट्य विवरण को प्रमाणित करता है। इस मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के श्रृंखला को साबित करने के लिए जब हेतु को प्रायः चुनौती दिया जाता है अपीलकर्ता के सदोषता की तरफ फोकस को लगातार सीमित करता है। बरामद खाली छर्रों के पास बंदूक तथा इसके दागे जाने की अवस्था का वैज्ञानिक विश्लेषण, अपराध के आसपास घटनाओं के समयसीमा को पंक्तिबद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

10.15 यह सत्य है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामलों में भी अभियोजन मिथ्या अन्यत्र उपस्थित होने या नासाबित प्रतिरक्षा अभिवाक् पर निर्भर नही हो सकता है चूँकि साबित करने का भार अभियोजन मामले को साबित करने के लिए हमेशा अभियोजन पर होता है तथा साबित करने का भार किसी भी अभियुक्त को स्थानान्तरित नही होता है। फिर भी, इस प्रकार की परिस्थितियों में जहाँ अभियोजन इस अकाट्य साक्ष्य के आधार पर यह साबित करने के लिए सक्षम रहा है कि अपराध का हथियार अभियुक्त के पास होने का पता लगा था, क्योंकि वर्तमान मामले में हथियार जिससे वैज्ञानिक साक्ष्य के जरिए मृतक को पहुँचे क्षति से संयोजन प्रमाणित किया गया है। फिर भी, न जानने का दावा तथा विचारण के दौरान पेश विभिन्न फँसाने वाले साक्ष्य का खण्डन करने के अलावा, अपीलकर्ता ने इन परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए किसी साक्ष्य को पेश नही किया था। इस प्रकार किसी फँसाने वाले परिस्थितियों को स्पष्ट करने की इसकी चुप्पी तथा विफलता इसके विरुद्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित अभियोजन मामले को मजबूत करेगा जैसा अभियोजन द्वारा साबित है।

10.15.1 इस संबंध में, हम ***त्रिमुख मारोती किरकन बनाम महाराष्ट्र राज्य (2006) 10 एससीसी 681*** में दिये गये इस न्यायालय के निर्णय को निर्दिष्ट कर सकते हैं यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जहाँ परिस्थितिजन्य साक्ष्य ऐसे किसी मामले के लिए आधार है जहाँ प्रत्यक्षदर्शी साक्षी विवरण उपलब्ध नही होता है तथा जब फँसाने वाली परिस्थितियों को अभियुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, यदि अभियुक्त कोई स्पष्टीकरण या ऐसा स्पष्टीकरण देता है जिसे मिथ्या पाया जाता है, यह परिस्थितियों के श्रृंखला को अतिरिक्त कड़ी उपलब्ध कराता है जैसा पूर्वोक्त निर्णय के पैरा 21 में संप्रेक्षित किया गया है जिसे यहाँ नीचे दोहराया जाता है:-

"21. परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में जहाँ प्रत्यक्षदर्शी साक्षी विवरण उपलब्ध नही होता है, एक दूसरा विधि का सिद्धांत है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। सिद्धांत यह है कि जब फंसाने वाले परिस्थिति को अभियुक्त के समक्ष रखा जाता है तथा उक्त अभियुक्त कोई स्पष्टीकरण नही देता है या ऐसा स्पष्टीकरण देता है जिसे असत्य पाया जाता है तब यह इसे पूरा करने के लिए परिस्थितियों के श्रृंखला में अतिरिक्त कड़ी बन जाता हैं। इस विचार को इस न्यायालय के श्रृंखलाबद्ध निर्णयों में लिया गया है। (देखिए तमिलनाडु राज्य बनाम राजेन्द्रन (1999) 8 एससीसी 679: 2000 एससीसी (क्रि) 40) (एससीसी पैरा 6): उ0प्र0 राज्य बनाम डा0 रवीन्द्र प्रकाश मित्तल (1992) 2 एससीसी 300: 1992 एससीसी (क्रि) 642: एआईआर 1992 एससी 2045) (एससीसी पैरा 39: एआईआर पैरा 40): महाराष्ट्र राज्य बनाम सुरेश ख्(2000) 1 एससीसी 471: 2000 एससीसी (क्रि) 263, (एससीसी पैरा 27): गणेश लाल बनाम राजस्थान राज्य ख् (2002) 1 एससीसी 731: 2002 एससीसी (क्रि) 247, (एससीसी पैरा 15) तथा गुलाब चंद बनाम म0प्र0राज्य ख् (1995) 3 एससीसी 574: 1995 एससीसी (क्रि) 552) (एससीसी पैरा 4),

10.16 हम मामले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के प्रावधान के महत्व की भी अनदेखी नही कर सकते हैं। चूँकि विचारण निश्चायक चरण तक आता है तथा सभी साक्ष्य को अभियोजन द्वारा पेश किया जाता है, जिसके सत्यता तथा विश्वसनीयता की जाँच प्रति-परीक्षा के औजार से की जाती है तथा जब साक्ष्य पर फंसाने वाले सामग्रियों पर आधारित कतिपय स्पष्ट तस्वीर उभरती है, प्रक्रियात्मक सुरक्षोपाय के रूप में, न्यायालय अभियुक्त का ध्यान इन फसाने वाले साक्ष्य की ओर आकृष्ट करता है जिससे अभियुक्त इन तथ्यों तथा परिस्थितियों को स्पष्ट करने में सक्षम हो सके जो इसके अपराध की ओर इशारा करता है। जब अभियुक्त स्वयं से पूछे गये प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं होता है तथा फिर भी अपनी चुप्पी बरकरार रख सकता है या साक्ष्य का खण्डन कर सकता है, फिर भी न्यायालय द्वारा पूछे गये प्रश्नों के संबंध में चुप्पी या वाग्छलपूर्ण या गलत उत्तर फंसाने वाले सामग्रियों का समुचित तरीके से मूल्यांकन करने में न्यायालय को संदर्भ उपलब्ध कराता है जिसे प्रतिकूल सहित आवश्यक निष्कर्ष को निकालते हुए अभियोजन द्वारा प्रकट किया गया है (देखिए: ***मनू साओ बनाम बिहार राज्य (2010) 12 एससीसी 310,]***

10.16.1 धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन अभियुक्त की परीक्षा अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन द्वारा भरोसा किये जाने के लिए ईप्सित साक्ष्य के न्यायिक संवीक्षा के प्रक्रिया का महत्वपूर्ण घटक है। अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों के विरचित करने तथा अभ्यारोपण के समय पर, अन्वेषण के अनुक्रम में अन्वेषक प्राधिकारी द्वारा क्रमबंधित अनजाना साक्ष्य अभियुक्त के समक्ष खोलकर रख देता है, जिसके पास साक्ष्य के प्रकृति तथा अभियोजन द्वारा इस विरुद्ध निर्मित मामले के संबंध में योजना होती। यह अभियुक्त को अपने प्रतिरक्षा की रणनीति

बनाने तथा तैयार करने के लिए सक्षम बनाता है। इसके पास प्रति-परीक्षा के साधन के जरिए किसी अभियोजन साक्षी पर अविश्वास करने या किसी साक्ष्य पर आपत्ति करने के सभी अवसर होगें। तत्पश्चात इसके पास अपने प्रतिरक्षा साक्ष्य यदि कोई है को पेश करने का अवसर होगा। यही वह संदर्भ है जिसमें न्यायालय द्वारा साक्ष्य का मूल्यांकन करने में अभियुक्त द्वारा दिया गया उत्तर अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है।

10.16.2 वर्तमान मामले में, फंसाने वाले साक्ष्य के बावजूद जो इसके विरुद्ध उठा है न्यायालय द्वारा इसे संकेत किया गया है, इसने इनमें से किसी को नही बताया है बल्कि मात्र खण्डन किया है या न जानने का स्वांग किया है जिसके संबंध में इसके विरुद्ध आवश्यक निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

11. निष्कर्ष

11.1 ऊपर चर्चा किये गये कारणों पर, परिस्थितिजन्य साक्ष्यों तथा अन्य साबित तथ्यों के बारे में विचार करने के पश्चात, हमारे सुविचारित राय में, आनुमानिक तथा तार्किक कड़ियों के साथ इस प्रकार साबित परिस्थितियाँ से स्पष्ट उदाहरण प्रकट होता है जो स्पष्ट रूप से भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन दण्डनीय मृतक विक्रम शिन्दे की हत्या करने के लिए तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 404 एवं आयुध अधिनियम की धारा 25 तथा 27 के अधीन दण्डनीय आयुध अधिनियम 1959 की धारा 3 तथा 5 के अधीन अपराधों को करने के लिए अपीलकर्ता के अपराध की ओर संकेत करता है।

अलग-अलग या एक साथ विचार की गई साबित परिस्थितियाँ अपीलकर्ता के अलावा किसी और के संलिप्तता का संकेत नही देता है।

इस प्रकार साबित परिस्थितियाँ में मृत्यु के लिए किसी अन्य व्यक्ति के उत्तरदायी होने की संभावना का वर्जन किये जाने के नाते, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोपों को साबित करने में सक्षम रहा है। इस प्रकार कोई संदेह नही हो सकता है कि अपीलकर्ता के अलावा कोई और अपराध नही कर सकता था।

11.2 पूर्वगामी कारणों की वजह से, मेरी राय है कि अपीलकर्ता के वरुद्ध साक्ष्य का मूल्यांकन करने में विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा तात्विक अवैधता नही किया गया है न ही यह कहा जा सकता है कि किसी तात्विक साक्ष्य को गलत समझते हुए या अनदेखी करते हुए आक्षेपित निर्णय द्वारा अपीलकर्ता के साथ कोई घोर अन्याय कारित किया गया है।

11.3 इसलिए हमें विश्वास है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता की दोषसिद्धि जिसे उच्च न्यायालय ने अनुमोदित किया जहाँ तक नोकिया मोबाइल फोन के बरामदगी का संबंध है भारतीय दण्ड संहिता की धारा 404 के अधीन दोषसिद्धि को अपास्त करने के सिवाय इस न्यायालय से किसी हस्तक्षेप का समुचित आधार नही है, जिसका संदेह का लाभ हम अपीलकर्ता को देते हैं, लेकिन जहाँ तक अपीलकर्ता द्वारा मृतक की हत्या तथा सोने की जंजीर के दुविर्नियोग का संबंध है भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 तथा 404

के अधीन एवं बंदूक के विधि-विरुद्ध कब्जा तथा प्रयोग हेतु आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25 तथा 27 के अधीन अपीलकर्ता के दोषसिद्ध को कायम रखा जाता है।

11.4 परिणामस्वरूप, अपील को खारिज किया जाता है तथा आपराधिक अपील सं0 666 वर्ष 2007 में 06-12-2010 को पारित कर्नाटक उच्च न्यायालय, सर्किट पीठ धारवाड़ के आक्षेपित निर्णय तथा आदेश को ऊपर बताये गये विस्तार तक अनुमोदित किया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता द्वारा दिये गये जमानत बंधपत्र को रद्द किया जाना है तथा अपीलकर्ता जिसे जमानत पर छोड़ा गया था विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत तथा उच्च न्यायालय द्वारा संपुष्ट दण्डादेश के बाकी अवधि को भुगतने के लिए तत्काल विचारण न्यायालय के समक्ष अभ्यपण करने का निदेश दिया जाता है।

मामले का परिणाम: अपील खारिज।

(यह अनुवाद शिवा कान्त तिवारी पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया)

शीर्ष टिप्पणियाँ निधि जैन द्वारा तैयार की गई।